भारतीय रिज़र्व बैंक

RESERVE BANK OF INDIA

भारिबैं/डीओआर/2025-26/328

डीओआर.एसटीआर.आरईसी.सं.247/21.04.177/2025-26 28 नवंबर 2025

भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025

विषय-सूची

अध्याय I – प्रारंभिक 3

ए- संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ 3

बी- प्रयोज्यता 3

सी- परिभाषाएं 3

अध्याय II – प्रतिभूतिकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं 9

ए. प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र आस्तियां----9

बी. न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर)----10

सी. प्रदायगी मानक----12

डी. भुगतान प्राथमिकताएं और अवलोकन योग्यता----12

ई. उद्गमकर्ता द्वारा कुल प्रतिधारित एक्सपोज़रो पर सीमा----13

एफ. निर्गमन और सूचीबद्ध करना----13

जी. विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें----14

एच. अभ्यावेदन और वारंटी----15

आई. लेखांकन प्रावधान----16

अध्याय III - सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतिकरण----18

ए. एसटीसी प्रतिभूतिकरण- विनियामक पूंजी प्रयोजन के लिए मानदंड----18

बी. एसटीसी प्रतिभूतिकरण के लिए प्रकटीकरण और विवेकपूर्ण निगरानी----27

अध्याय IV - प्रतिभूतिकरण संरचनाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का प्रावधान----29

ए. सामान्य शर्तें----29

बी. क्रेडिट वृद्धि सुविधाएं--30
सी. क्रेडिट वृद्धि का पुनर्निर्धारण--31
डी. चलनिधि सुविधाएं---34
ई. हामीदारी अंकन (हामीदारी अंकन) सुविधाएं------------------------------35
एफ. सर्विसिंग सुविधाएं ---35
अध्याय V - प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रो में निवेशक एआईएफआई द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं---37
ए. समुचित सावधानी आवश्यकताएं---37
बी. दबाव परीक्षण---38
सी. क्रेडिट निगरानी और मूल्यांकन---38
अध्याय VI - प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रो के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं और प्रकटीकरण मानदंड---40
ए. प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रो के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं------------------40
बी. प्रकटीकरण-- 40
अध्याय VII - निरसन और अन्य प्रावधान------------------------------------42
ए. निरसन और बचत-- 42
बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं----------------------------------42
सी. व्याख्याएँ---42
अनुबंध I..44

परिचय

प्रतिभूतिकरण में वह लेनदेन शामिल हैं जहाँ आस्तियों में निहित क्रेडिट जोखिम को विभिन्न जोखिम प्रोफाइलों वाली व्यापार योग्य प्रतिभूतियों में पुनर्गठित करके पुनर्वितरित किया जाता है, जो विभिन्न श्रेणियों के निवेशकों को उन जोखिमों तक पहुँच प्रदान कर सकता है जहाँ तक वह सीधे पहुँचने में असमर्थ होते हैं। जबकि जटिल और अपारदर्शी प्रतिभूतिकरण संरचनाएं वित्तीय स्थिरता के दृष्टिकोण से अवांछनीय हो सकती हैं, विवेकपूर्ण ढंग से संरचित प्रतिभूतिकरण लेनदेन एक सुचारू रूप से कार्य करने वाले वित्तीय बाजार में महत्वपूर्ण सुविधाप्रदाता हो सकते हैं क्योंकि यह जोखिम वितरण और नए ऋण एक्सपोज़रों के उद्गम में ऋणदाताओं की चलनिधि में सुधार करता है।

तदनुसार, भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45एल द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारतीय रिज़र्व बैंक, इस बात से संतुष्ट होकर कि ऐसा करना जनहित और बैंकिंग नीति के हित में ऐसा करना आवश्यक और समीचीन है, एतद्द्वारा विनिर्दिष्ट निदेश जारी करता है।

अध्याय I - प्रारंभिक

ए. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ

1. इन निदेशों को भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था- प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 कहा जाएगा।
2. यह निदेश भारतीय रिज़र्व बैंक की आधिकारिक वेबसाइट पर डाले जाने के दिन से प्रभावी होंगे।

बी. प्रयोज्यता

3. यह निदेश अखिल भारतीय वित्तीय संस्था (जिसे आगे से 'एआईएफआई' के रूप में संदर्भित) अर्थात भारतीय निर्यात-आयात बैंक (एक्जिम बैंक), राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड), भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सिडबी), राष्ट्रीय आवास बैंक (एनएचबी), और राष्ट्रीय अवसंरचना वित्तपोषण और विकास बैंक(एनएबीएफआईडी) पर लागू होंगे।

सी. परिभाषाएं

4. इन निदेशों के प्रयोजनों के लिए, निम्नलिखित परिभाषाएं लागू होती हैं:

(1) "*दिवालियापन* से दूर" का अर्थ किसी संस्था का स्वैच्छिक अथवा अस्वैच्छिक दिवालियापन कार्यवाही के अधीन होने की संभावना न होना है, जिसमें उद्गमकर्ता या उद्गमकर्ता के लेनदारों द्वारा शुरू की गई कार्यवाही भी शामिल है।

(2) "क्लीन-अप कॉल" का अर्थ एक ऐसा विकल्प है जो उद्गमकर्ता को अंतर्निहित एक्सपोज़रों अथवा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों को वापस लेने/कॉल करने की अनुमति देता है जब अंतर्निहित एक्सपोज़रों का बकाया मूल्य एक पूर्व-निर्धारित सीमा से नीचे चला जाता है, जिससे सभी पक्षों के शेष प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र समाप्त हो जाते हैं।

(3) "क्रेडिट वृद्धि" का अर्थ एक संविदात्मक व्यवस्था है जिसमें कोई संस्था किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र से जुड़े क्रेडिट जोखिम को कम करती है और, सार रूप में, लेनदेन के अन्य पक्षों को कुछ हद तक अतिरिक्त सुरक्षा प्रदान करती है ताकि उनके प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के क्रेडिट जोखिम को कम किया जा सके।

(4) "पूर्व परिशोधन प्रावधान" का अर्थ एक ऐसा तंत्र है, जो एक बार उत्प्रेरित होने, प्रतिभूतिकरण संरचना की अंतर्निहित आस्तियों में निवेशक के हित की कमी को तेज करता है और निवेशकों को जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों की मूल रूप से घोषित परिपक्वता से पहले भुगतान प्राप्त करने की अनुमति देता है।

(5) "अतिरिक्त स्प्रेड"(अथवा भावी मार्जिन आय)" का अर्थ विशेष प्रयोजन संस्था (एसपीई) द्वारा प्राप्त सकल वित्त प्रभार संग्रह तथा अन्य आय, और प्रतिभूतिकरण नोट ब्याज, सर्विसिंग शुल्क, चार्ज-ऑफ और अन्य वरिष्ठ एसपीई व्ययों के बीच का अंतर है।

(6) किसी प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र की "एक्सपोज़र राशि": यह जोखिम की तुलन-पत्र की राशि अथवा रखाव मूल्य का योग है - जो खरीद छूट और अवलेखन/विशेष प्रावधानों को ध्यान में रखता है जो एआईएफआई ने इस प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र पर लिए थे - और तुलनपत्रेतर एक्सपोज़र राशि, जहाँ लागू हो।

(7) "प्रथम हानि सुविधा" का अर्थ एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों की साख क्षमता में सुधार करने के लिए उद्गमकर्ता अथवा किसी तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता का पहला स्तर है, ताकि सुविधा प्रदाता एसपीई द्वारा धारित आस्तियों से जुड़े जोखिमों का भाग अथवा पूरा जोखिम सहन करे।

(8) "अंतर्निहित समर्थन" का अर्थ तब उत्पन्न होने वाली सुरक्षा है जब कोई एआईएफआई अपनी पूर्व-निर्धारित संविदात्मक दायित्व से अधिक किसी प्रतिभूतिकरण को सहायता प्रदान करता है।

(9) "केवल-ब्याज स्ट्रिप (आई/ओ)" का अर्थ उद्गमकर्ता की एक तुलन-पत्र की आस्ति है जो भविष्य की मार्जिन आय से संबंधित नकद प्रवाह के मूल्यांकन का प्रतिनिधित्व करती है।

i. *बशर्ते* कि यदि केवल-ब्याज स्ट्रिप अधीनस्थ है, तो यह क्रेडिट वृद्धि के उद्देश्य को पूरा करेगी और इसे क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप कहा जाएगा।

(10) "ऋणदाता" जब तक कि विशेष रूप से अन्यथा उल्लेख न किया गया हो, निम्नलिखित संस्थाएं ऋणदाता होंगी:

i. अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर);

ii. अखिल भारतीय वित्तीय संस्थान (नाबार्ड, एनएचबी, एक्ज़िम बैंक और सिडबी);

iii. लघु वित्त बैंक (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (लघु वित्त बैंक – प्रतिभूतिकरण लेनदेन) निदेश, 2025 के तहत अनुमत है); और

iv. आवास वित्त कंपनियों (एचएफसी) सहित सभी गैर-बैंकिंग वित्तीय कंपनियां (एनबीएफसी)

(11) "बंधक समर्थित प्रतिभूतियां" का अर्थ विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा अंतर्निहित जोखिमों के बदले में जारी प्रतिभूतिकरण नोट हैं जो सभी वाणिज्यिक अथवा आवासीय अचल संपत्ति बंधकों द्वारा जमानती हैं।

(12) "उद्गमकर्ता" उस ऋणदाता को संदर्भित करता है जो प्रतिभूतिकरण लेनदेन के भाग के रूप में अपने तुलन-पत्र से किसी एकल आस्ति अथवा आस्ति के पूल को एसपीई में अंतरित करता है और इसमें समेकित समूह की अन्य संस्थाएं शामिल होंगी जिससे ऋणदाता संबंधित है।

स्पष्टीकरण: उद्गमकर्ता वह समान ऋणदाता नहीं भी हो सकता है जिसने शुरुआत में प्रतिभूतिकरण लेनदेन के तहत अंतर्निहित एक अथवा अधिक एक्सपोज़रों को स्वीकृत किया था, क्योंकि ऋणदाताओं से खरीदे गए ऋणों को भी प्रतिभूतिकरण के उद्देश्य से एसपीई को बेचा जा सकता है।

(13) "अति-संपार्श्विकता" का अर्थ क्रेडिट वृद्धि का कोई भी रूप है जिसके तहत अंतर्निहित एक्सपोज़रों का मूल्य प्रतिभूतिकरण नोटों के मूल्य से अधिक पोस्ट किया जाता है।

(14) "पुनःपूर्ति" का अर्थ योजना के विवरण-पत्र में अग्रिम रूप से प्रकट किए गए तरीके से अधिक आस्तियों को प्राप्त करने के लिए प्रतिभूतित आस्तियों से नकद प्रवाह का उपयोग करने की प्रक्रिया है, जो पूर्व-घोषित पुनःपूर्ति अवधि के लिए जारी रहेगी, जिसके बाद प्रतिभूतिकरण संरचना परिशोधन संरचना में बदल जाती है।

बशर्ते कि पुनःपूर्ति अवधि के दौरान खरीदी गई आस्तियां योजना के तहत पहले से जारी प्रतिभूतिकरण नोटों की अंतर्निहित आस्तियों के उसी उद्गमकर्ता (उद्गमकर्ताओं) से खरीदी जाएंगी।

(15) "आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियां" का अर्थ विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा अंतर्निहित एक्सपोज़रों के बदले में जारी प्रतिभूतिकरण नोट हैं जो सभी आवासीय बंधकों द्वारा जमानती हैं।

(16) "पुनःप्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र" का अर्थ एक प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र है जहाँ अंतर्निहित एक्सपोज़र में से कम से कम एक एक्सपोज़र प्रतिभूतिकरण जोखिम है।

(17) इन निदेशों के उद्देश्य के लिए "मानक आस्तियां" का अर्थ उन एक्सपोज़रों से है जिन्हें अनर्जक आस्तियां के रूप में वर्गीकृत नहीं किया गया है।

(18) "द्वितीय हानि सुविधा" का अर्थ वित्तीय सहायता का दूसरा स्तर है जो विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों को प्रथम हानि सुविधा द्वारा कवर न किए गए संभावित हानि के खिलाफ सुरक्षा का दूसरा (या उत्तरवर्ती) स्तर प्रदान करता है, और इसे केवल प्रथम हानि सुविधा के आहरण और अस्वीकार अथवा समाप्त होने के बाद, अथवा प्रथम हानि प्रदाता के दिवाला अथवा शोधन अक्षमता अथवा परिसमापन के अधीन होने के बाद ही लागू किया जाता है।

(19) "प्रतिभूतिकरण" का अर्थ एक ऐसी संरचना है जहाँ आस्तियों का एक पूल किसी उद्गमकर्ता द्वारा एसपीई को अंतरित किया जाता है और इस आस्ति पूल से नकद प्रवाह का उपयोग क्रेडिट जोखिम की विभिन्न डिग्री को दर्शाने वाली कम से कम दो अलग-अलग किश्तों (ट्रेंच) के प्रतिभूतिकरण जोखिमों की सेवा के लिए किया जाता है, जहाँ

निवेशकों को भुगतान उद्गमकर्ता के दायित्व से प्राप्त होने के बजाय विनिर्दिष्ट अंतर्निहित आस्तियों के निष्पादन पर निर्भर करता है।

बशर्ते कि प्रतिभूतित होने के लिए पात्र एकल आस्ति वाले पूल की भी अनुमति है।

बशर्ते कि प्रतिभूतिकरण संरचना में विभिन्न परिपक्वताओं वाली किश्तें (ट्रेंच) हो सकती हैं।

(20) "प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र" में विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों के एक्सपोज़र शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं, जिनमें आस्ति-समर्थित प्रतिभूतियां और बंधक-समर्थित प्रतिभूतियां, क्रेडिट वृद्धि , हामीदारी अंकन प्रतिबद्धताएं, चलनिधि सुविधाएं, ब्याज दर अथवा मुद्रा स्वैप, क्रेडिट डेरिवेटिव और ट्रेंचड कवर शामिल हैं।

स्पष्टीकरण: रिज़र्व खाते, जैसे कि नकद संपार्श्विक खाते, जो प्रतिभूतिकरण से उत्पन्न होने वाले क्रेडिट हानि को अवशोषित करने के लिए निर्धारित हैं और उद्गमकर्ता द्वारा आस्ति के रूप में दर्ज किए गए हैं, उन्हें भी प्रतिभूतिकरण जोखिम के रूप में माना जाना चाहिए।

(21) "प्रतिभूतिकरण नोट" का अर्थ प्रतिभूतिकरण के भाग के रूप में विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा जारी की गई प्रतिभूतियां हैं।

(22) "वरिष्ठ ट्रेंच" का अर्थ एक ऐसी ट्रेंच है जो अंतर्निहित प्रतिभूतित पूल में आस्तियों की पूरी राशि पर प्रथम दावे द्वारा प्रभावी रूप से समर्थित अथवा जमानती है।

बशर्ते कि जहाँ प्रथम-हानि वाले भाग से ऊपर की सभी किश्तों को रेटिंग दी गई है, सबसे उच्च रेटिंग वाली स्थिति को वरिष्ठ ट्रेंच माना जाएगा।

बशर्ते कि जब कई ट्रेंच एक ही रेटिंग साझा करते हैं, तो नकद प्रवाह वॉटरफॉल में केवल सबसे वरिष्ठ ट्रेंच को ही वरिष्ठ माना जाएगा (जब तक कि उनके बीच एकमात्र अंतर प्रभावी परिपक्वता का न हो)।

बशर्ते कि जब कई वरिष्ठ ट्रेंच की विभिन्न रेटिंग केवल परिपक्वता में अंतर के कारण होती है, तो इन सभी ट्रेंचों को वरिष्ठ ट्रेंच माना जाना चाहिए।

(23) "विशेष प्रयोजन संस्था" का अर्थ एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए गठित कंपनी, न्यास अथवा अन्य संस्था है, जिसकी गतिविधियां एसपीई के उद्देश्य को पूरा करने के लिए उपयुक्त गतिविधियों तक सीमित हैं और जिसकी संरचना का उद्देश्य एसपीई को किसी उद्गमकर्ता के क्रेडिट जोखिम से अलग करना है।

स्पष्टीकरण: इन निदेशों में एसपीई का कोई भी संदर्भ प्रतिभूतिकरण की प्रक्रिया के एक भाग के रूप में एसपीई द्वारा स्थापित या घोषित न्यास का भी संदर्भ देगा।

(24) "अधीनस्थ ट्रेंच" का अर्थ वरिष्ठ ट्रेंच (ट्रेंचों) के अधीन कोई भी ट्रेंच है।

(25) "सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण" का अर्थ एक ऐसी संरचना है जहाँ एक्सपोज़रों के अंतर्निहित पूल का क्रेडिट जोखिम पूरी तरह अथवा आंशिक रूप से क्रेडिट डेरिवेटिव अथवा क्रेडिट गारंटी के उपयोग के माध्यम से अंतरित किया जाता है जो पोर्टफोलियो के क्रेडिट जोखिम का बचाव करने का काम करते हैं जो एआईएफआई के तुलन-पत्र पर रहता है।

स्पष्टीकरण: उपरोक्त परिभाषा में वर्तमान विनियामक निदेशों के तहत बचाव के लिए एआईएफआई को अनुमत साधन का उपयोग शामिल नहीं है।

(26) "ट्रेंच" का अर्थ किसी एक्सपोज़र अथवा एक्सपोज़रों के पूल से जुड़े क्रेडिट जोखिम के संविदात्मक रूप से स्थापित खंड से है, जहाँ उस खंड की स्थिति में उसी राशि की किसी अन्य खंड की स्थिति की तुलना में अधिक अथवा कम क्रेडिट हानि का जोखिम शामिल होता है, बिना उस खंड में अथवा अन्य खंडों में स्थितियों के धारकों को सीधे तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई क्रेडिट सुरक्षा को ध्यान में रखे।

स्पष्टीकरण: एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों और उपलब्ध क्रेडिट वृद्धि सुविधाओं को ट्रेंच के रूप में माना जाएगा।

अध्याय II - प्रतिभूतिकरण के लिए सामान्य आवश्यकताएं

ए. प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र आस्तियां

1. एआईएफआई नीचे उल्लेखित प्रतिभूतिकरण गतिविधियों को अधिग्रहित अथवा प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों को स्वीकार नहीं करेगा:

(1) पुनःप्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र;

(2) ऐसी संरचनाएं जिनमें वाणिज्यिक पत्र जैसे अल्पकालिक साधन, जिन्हें समय-समय पर विस्तारण किया जाता है, एसपीई द्वारा धारित दीर्घकालिक आस्तियों के बदले में जारी किए जाते हैं;

(3) सिंथेटिक प्रतिभूतिकरण; और

(4) निम्नलिखित आस्तियों के साथ अंतर्निहित रूप में प्रतिभूतिकरण:

(i) अंतर्निहित रूप में परिक्रामी उधार सुविधाएं – इनमें अंतर्निहित एक्सपोज़र शामिल हैं जहाँ उधारकर्ता को ऋण व्यवस्था के तहत एक सहमत सीमा के भीतर निकाली गई राशि और पुनर्भुगतान को बदलने की अनुमति है (उदा. क्रेडिट कार्ड प्राप्य और नकद ऋण सुविधाएं);

(ii) पुनर्गठित ऋण और अग्रिम जो विनिर्दिष्ट अवधि में हैं;

(iii) अन्य ऋण देने वाले संस्थानों के लिए एक्सपोज़र;

(iv) एआईएफआई के पुनर्वित्त एक्सपोज़र;

(V) मूलधन और ब्याज दोनों के बुलेट भुगतानों वाले अंतर्निहित ऋण; और

(VI) 365 दिनों से कम की शेष परिपक्वता वाले ऋण।

बशर्ते कि कृषि गतिविधियों के लिए वैयक्तिक को विस्तारित 24 महीने तक की अवधि वाले ऋण (जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण - लक्ष्य और वर्गीकरण) निदेश, 2025 में वर्णित है) जहाँ ब्याज और मूलधन दोनों केवल परिपक्वता पर देय हैं और 12 महीने तक की अवधि वाले व्यापार प्राप्य जिन्हें एआईएफआई द्वारा अपने उधारकर्ताओं से भुनाए/खरीदा गया है, प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगे। हालांकि, केवल वही ऋण/प्राप्य प्रतिभूतिकरण के लिए पात्र होंगे जहाँ किसी उधारकर्ता (कृषि ऋण के मामले में) / बिल के देयकर्ता (व्यापार प्राप्य के मामले में) ने देय तिथि के 90 दिनों के भीतर अंतिम दो ऋणों/प्राप्य खातों की पूरी राशि (एक वर्ष से अधिक परिपक्वता वाले कृषि ऋणों के मामले में एक ऋण) का पूरी तरह से

पुनर्भुगतान कर दिया हो। यदि ऐसी आस्तियों का प्रतिभूतिकरण किया जाता है, तो उनके बदले में जारी प्रतिभूतिकरण नोटों के निवेशक उपरोक्त आवश्यकता के साथ अंतर्निहित आस्ति के अनुपालन की पुष्टि करने में सक्षम होने चाहिए।

6. उपरोक्त के अधीन, उद्गमकर्ताओं के अन्य सभी तुलन-पत्र के एक्सपोज़र, जो ऋण और अग्रिम की प्रकृति के हैं और मानक के रूप में वर्गीकृत हैं, प्रतिभूतिकरण लेनदेन में अंतर्निहित आस्तियों के रूप में पात्र हैं।

7. ऐसे एक्सपोज़रों के उद्गमकर्ताओं को न्यूनतम धारिता अवधि आवश्यकता को पूरा करना होगा जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - क्रेडिट जोखिम का अंतरण और वितरण) निदेश, 2025 में परिभाषित किया गया है। *परंतु* वाणिज्यिक अथवा आवासीय अचल संपत्ति बंधकों के लिए, एमएचपी की गणना ऋण के पूर्ण संवितरण की तिथि, अथवा भारतीय प्रतिभूतिकरण आस्ति पुनर्निर्माण और प्रतिभूति स्वत्व की केंद्रीय रजिस्ट्री (सीईआरएसएआई) के साथ प्रतिभूति स्वत्व के पंजीकरण की तिथि, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

8. एमएचपी प्रतिभूतित ऋणों के अंतर्निहित पूल में वैयक्तिक ऋणों पर लागू होगा। एमएचपी पैरा 5 के परंतुक में संदर्भित ऋणों पर लागू नहीं होगा।

9. इन निदेशों के संदर्भ में किए गए लेन-देन से अंतर्निहित देनदारों के अधिकारों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। इस शर्त का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए, उद्गमकर्ता और सर्विसिंग एजेंट के बीच अनुबंध में सक्षम करने वाले खंड शामिल किए जाने चाहिए और देनदारों से सभी आवश्यक सहमति (तीसरे पक्ष सहित), जहाँ संबंधित अनुबंधों के अनुसार आवश्यक हो, प्राप्त की जानी चाहिए।

न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता (एमआरआर)

10. एमआरआर को मुख्य रूप से यह सुनिश्चित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है कि उद्गमकर्ताओं की प्रतिभूतित आस्तियों के निष्पादन में निरंतर हिस्सेदारी हो ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि वह प्रतिभूतित किए जाने वाले ऋणों पर उचित समुचित सावधानी अपनाते हैं। आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के अतिरिक्त, प्रतिभूतिकरण नोट जारी करने वाले ऋणों का प्रतिभूतिकरण करते समय उद्गमकर्ताओं को नीचे दिए गए विवरण के अनुसार एमआरआर का पालन करना चाहिए:
    (1) 24 महीने अथवा उससे कम की मूल परिपक्वता वाले अंतर्निहित ऋणों के लिए, एमआरआर प्रतिभूतित किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 5 प्रतिशत होगा।

(2) 24 महीने से अधिक की मूल परिपक्वता वाले अंतर्निहित ऋणों के साथ-साथ बुलेट पुनर्भुगतान वाले ऋणों के लिए, जैसा कि पैरा 5 के परंतुक में उल्लेख किया गया है, एमआरआर प्रतिभूतित किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 10 प्रतिशत होगा।

11. आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतियों के मामले में, उद्गमकर्ता के लिए एमआरआर मूल परिपक्वता की परवाह किए बिना, प्रतिभूतित किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य का 5 प्रतिशत होगा।

12. एमआरआर को उद्गमकर्ता द्वारा निम्नानुसार प्रतिधारित किया जाएगा:

(1) **प्रतिभूतित किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत तक:**

(i) प्रथम हानि सुविधा, यदि उपलब्ध हो;

(ii) यदि प्रथम हानि सुविधा उपलब्ध नहीं है, अथवा जहाँ संपूर्ण प्रथम हानि सुविधा का प्रतिधारण 5 प्रतिशत से कम है, तो शेष इक्विटी ट्रेंच के प्रतिधारण द्वारा;

(iii) जहाँ संपूर्ण प्रथम हानि सुविधा,यदि उपलब्ध हो और इक्विटी ट्रेंच का प्रतिधारण मिलकर 5 प्रतिशत से कम है, तो निवेशकों को बेचे गए शेष ट्रेंचों में समान अनुपात में।

(2) **प्रतिभूतित किए जा रहे ऋणों के बही मूल्य के 5 प्रतिशत से अधिक:**

(i) प्रथम हानि सुविधा अथवा इक्विटी ट्रेंच अथवा निवेशकों को बेची गई कोई अन्य ट्रेंच, इनके किसी भी संयोजन में।

स्पष्टीकरण: यह स्पष्ट किया जाता है कि इस उद्देश्य के लिए प्रथम हानि सुविधा में उपलब्ध अति-संपार्श्विकता, यदि कोई हो, शामिल नहीं होगी।

13. अतिरिक्त ब्याज स्प्रेड/भावी मार्जिन आय का प्रतिनिधित्व करने वाले केवल-ब्याज स्ट्रिप में निवेश, चाहे अधीनस्थ हो अथवा न हो, एमआरआर में नहीं गिना जाएगा।

14. क्रेडिट जोखिम की हेजिंग अथवा प्रतिधारित हित को बेचने अथवा बंधक रखने के माध्यम से एमआरआर को कम नहीं किया जाना चाहिए।

(1) एमआरआर को उद्गमकर्ता एआईएफआई द्वारा स्वयं बनाए रखा जाना चाहिए न कि उसकी किसी समूह संस्था से। एमआरआर का रूप प्रतिभूतिकरण की पूरी अवधि के दौरान नहीं बदलना चाहिए।

(2) अपरिशोधित मूलधन के प्रतिशत के रूप में एमआरआर को निरंतर आधार पर बनाए रखा जाना चाहिए, केवल पुनर्भुगतान के कारण अथवा हानि के अवशोषण द्वारा प्रतिधारित एक्सपोज़र में कमी को छोड़कर। विशेष रूप से, पुनःपूर्ति अवधि वाले प्रतिभूतिकरण के मामलों में, एमआरआर को न केवल प्रतिभूतिकरण की शुरुआत में बल्कि पुनःपूर्ति अवधि के अंत में भी बनाए रखा जाना चाहिए।

15. इन दिशानिर्देशों के तहत एमआरआर का अनुपालन करने के लिए, एआईएफआई को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि विधि के अनुसार उचित दस्तावेज बनाए जाएं।

सी. प्रदायगी मानक

16. प्रतिभूतित एक्सपोज़रों के लिए हामीदारी अंकन मानक उद्गमकर्ता के तुलन-पत्र पर बनाए रखे गए एक्सपोज़रों पर लागू मानकों की तुलना में कम सख्त नहीं होने चाहिए। जहाँ ऋण उद्गम के समय से लेकर प्रतिभूतित नोट से जुड़े सभी दावों के भुगतान होने तक हामीदारी अंकन मानकों में बदलाव होता है, वहाँ उद्गमकर्ता को प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र रखने वाली संस्थाओं को ऐसे बदलावों के समय और उद्देश्य का प्रकटीकरण करना चाहिए।

17. अन्य ऋणदाताओं से उद्गमकर्ता द्वारा खरीदे गए एक्सपोज़रों के प्रतिभूतिकरण के मामलों में, हामीदारी अंकन मानकों के लिए लागू आवश्यकताएं उद्गमकर्ता द्वारा अपनाई गई सम्यक तत्परता प्रक्रिया के मानकों पर लागू होंगी, जिसमें उन ऋणदाता की ऋण उद्गम प्रक्रिया की पर्याप्तता और निरंतरता का सत्यापन शामिल हो सकता है जिनसे उद्गमकर्ता द्वारा एक्सपोज़र खरीदे गए थे।

डी. भुगतान प्राथमिकताएं और अवलोकन योग्यता

18. प्रतिभूतिकरण की पूरी अवधि के दौरान निवेशकों को अप्रत्याशित पुनर्भुगतान प्रोफाइलों का सामना करने से रोकने के लिए, सभी परिस्थितियों में सभी देनदारियों के लिए भुगतान की प्राथमिकताओं को प्रतिभूतिकरण के समय स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए और उनकी प्रवर्तनीयता के संबंध में उचित विधिक सांत्वना प्रदान की जानी चाहिए।

19. नकद प्रवाह वॉटरफॉल, भुगतान प्रोफाइल अथवा भुगतान की प्राथमिकता में किसी भी बदलाव पर निवेशकों को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करने में मदद करने के लिए, जो प्रतिभूतिकरण को प्रभावित कर सकता है, प्रतिभूतिकरण के नकद प्रवाह वॉटरफॉल, भुगतान प्रोफाइल अथवा भुगतान की प्राथमिकता को प्रभावित करने वाले सभी उत्प्रेरक को प्रस्तावित दस्तावेजों और निवेशक रिपोर्टों में स्पष्ट रूप से और पूरी तरह प्रकट किया जाना चाहिए। इनमें ऐसी जानकारी शामिल हो जो नोट

धारकों को अपेक्षित नकद प्रवाह के संबंध में उल्लंघन की स्थिति, उल्लंघन को वापस लेने की क्षमता और उल्लंघन के परिणामों की स्पष्ट रूप से पहचान करती हो।

20. प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के अधिकारों और हितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए, अंतर्निहित ऋणों के निष्पादन के आसपास की रूपरेखा और चेतावनियों से संबंधित परिभाषाओं, नीतियों और उपायों को उपयुक्त रूप से संप्रेषित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त, प्रतिभूतिकरण में शामिल सभी संस्थाओं जैसे कि उद्गमकर्ता, एसपीई आदि के दिवालिया होने सहित सभी परिस्थितियों का हिसाब रखने के लिए प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के अधिकारों और नियंत्रण का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए। विधिक और वित्तीय जोखिम कारकों से संबंधित पूर्ण प्रकटीकरण और सहायक दस्तावेज संभावित और मौजूदा निवेशकों को उचित अवधि के भीतर, निरंतर अथवा मांग के आधार पर उपलब्ध कराए जाने चाहिए।

21. पुनःपूर्ति अवधि वाले प्रतिभूतिकरण में उपयुक्त प्रारंभिक परिशोधन घटनाओं और/अथवा पुनःपूर्ति अवधि की समाप्ति के उत्प्रेरक के लिए प्रावधान शामिल होने चाहिए, जिनमें विशेष रूप से:

    (1) अंतर्निहित एक्सपोज़र की क्रेडिट गुणवत्ता में गिरावट;

    (2) समान क्रेडिट गुणवत्ता के पर्याप्त नए अंतर्निहित एक्सपोज़र को प्राप्त करने में विफलता; और

    (3) उद्गमकर्ता (उद्गमकर्ताओं) के संबंध में दिवालियापन से संबंधित घटना का होना।

22. यदि संबद्ध संस्थागत हितधारकों (उद्गमकर्ता, एसपीई, सर्विसिंग एजेंट, क्रेडिट वृद्धि प्रदाता और अन्य) के वह कार्य जो इस फ्रेमवर्क में निषिद्ध नहीं हैं, किसी भी बिंदु पर प्रतिभूतिकरण नोटों के जोखिम प्रोफाइल में महत्वपूर्ण परिवर्तन लाते हैं, तो उद्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि निवेशकों, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों और अन्य सेवा प्रदाताओं को अधिकतम 14 कैलेंडर दिनों की समय सीमा के भीतर इसकी उचित रूप से सूचना दी जाए और प्रकटीकरण किया जाए।

ई. उद्गमकर्ता द्वारा कुल प्रतिधारित एक्सपोज़रो पर सीमा

23. किसी विशेष प्रतिभूतिकरण संरचना अथवा योजना से संबंधित प्रतिभूतिकरण जोखिमों के लिए एक उद्गमकर्ता का कुल एक्सपोज़र ऐसी संरचना अथवा योजना द्वारा बनाए गए कुल प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए। हालांकि, केवल-ब्याज स्ट्रिप को बढ़ाने वाले क्रेडिट के लिए उद्गमकर्ताओं के एक्सपोज़र को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।

24. एसपीई के साथ दर्ज की गई ब्याज दर स्वैप/मुद्रा स्वैप के कारण क्रेडिट जोखिम को इस सीमा से बाहर रखा जाएगा।

25. प्रतिधारित कुल एक्सपोज़रों पर 20 प्रतिशत की सीमा का उल्लंघन तब नहीं माना जाएगा यदि यह जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के परिशोधन के कारण अधिक हो जाती है।

एफ. निर्गमन और सूचीबद्ध करना

26. प्रतिभूतिकरण नोटों को जारी करने के लिए न्यूनतम टिकट आकार ₹ 1 करोड़ होगा।

स्पष्टीकरण: इन निदेशों के उद्देश्य के लिए, टिकट आकार किसी एकल निवेशक द्वारा निवेश के आकार को संदर्भित करता है।

27. प्रतिभूतिकरण नोटों की सूचीबद्धता, विशेष रूप से विशिष्ट उत्पाद वर्ग के संबंध में, जैसे कि आरएमबीएस, और/अथवा सामान्यतः एक निश्चित सीमा से ऊपर, अनुशंसित है, यद्यपि अनिवार्य नहीं है। किसी भी मामले में, एक निर्गमन में पचास अथवा अधिक वैयक्तिक को प्रतिभूतिकरण नोटों की किसी भी प्रस्ताव को समय-समय पर यथा संशोधित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतित ऋण साधनों और सुरक्षा रसीदों का निर्गमन और सूचीबद्धता) विनियम, 2008 के संदर्भ में सूचीबद्ध किया जाएगा।

जी. विशेष प्रयोजन संस्था द्वारा पूरी की जाने वाली शर्तें

28. उद्गमकर्ता को उसके द्वारा ग्रहण किए गए प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के संबंध में इन निदेशों में निर्धारित पूंजी पर्याप्तता और अन्य पहलुओं पर दिशानिर्देशों को लागू करने में सक्षम बनाने के लिए एसपीई को निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करना चाहिए:

   (1) उद्गमकर्ता और एसपीई के बीच कोई भी लेनदेन कड़ाई से स्वतंत्र संव्यवहार आधार पर होना चाहिए।

   (2) एसपीई और न्यासीका नाम आस्तियों के उद्गमकर्ता के नाम से मेल नहीं खाना चाहिए और न ही उनके शीर्षक अथवा नाम में उद्गमकर्ता के साथ किसी संबंध का आभास होना चाहिए।

   (3) इन निदेशों के तहत विशेष रूप से अनुमत हितों को छोड़कर उद्गमकर्ता का एसपीई में कोई स्वामित्व, मालिकाना अथवा लाभकारी हित नहीं होना चाहिए। उद्गमकर्ता एसपीई में कोई शेयर पूंजी नहीं रखेगा।

(4) उद्गमकर्ता का एसपीई के निदेशक मंडल में वीटो पावर के बिना एक से अधिक प्रतिनिधि नहीं होना चाहिए, बशर्ते बोर्ड में कम से कम चार सदस्य हों और स्वतंत्र निदेशक बहुमत में हों।

(5) यदि एसपीई को न्यास के रूप में स्थापित किया गया है, तो:

(i) उद्गमकर्ता को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से एसपीई और ट्रस्टियों पर नियंत्रण नहीं रखना चाहिए, और यदि कोई न्यास विलेख है तो उसे तय नहीं करना चाहिए।

(ii) उद्गमकर्ता का ट्रस्टियों में कोई स्वामित्व, मालिकाना अथवा लाभकारी हित नहीं होना चाहिए।

(iii) एसपीई दिवालियापन से दूर और गैर- विवेकाधीन होना चाहिए।

(iv) न्यास विलेख, यदि कोई हो, में न्यासी द्वारा किए जाने वाले कार्यों, उनके अधिकारों और दायित्वों के साथ-साथ प्रतिभूतित आस्तियों के संबंध में निवेशकों के अधिकारों और दायित्वों को विस्तार से निर्धारित किया जाना चाहिए। न्यास विलेख में न्यासीको न्यास संपत्ति के निपटान और प्रबंधन अथवा उपयोग के तरीके के बारे में कोई विवेक प्रदान नहीं किया जाना चाहिए। अपने हितों की रक्षा के लिए, निवेशकों को न्यास विलेख में किसी भी समय न्यासीको बदलने के लिए सशक्त बनाया जाना चाहिए।

(V) न्यासी को केवल एसपीई के संबंध में न्यासधारिता कार्यों को निष्पादित करना चाहिए और एसपीई के साथ कोई अन्य कारोबार नहीं करना चाहिए।

(vi) यदि आवश्यक हो, तो न्यास विलेख की एक प्रति (यदि कोई हो) और एसपीई के खातों और मामलों का विवरण उद्गमकर्ता और/अथवा अन्य ऋणदाताओं द्वारा आरबीआई को उपलब्ध कराया जाना चाहिए।

(6) उद्गमकर्ता इन निदेशों के तहत स्पष्ट रूप से अनुमत सुविधाओं के अतिरिक्त एसपीई के हानि का समर्थन नहीं करेगा और एसपीई के आवर्ती व्यय को पूरा करने के लिए भी उत्तरदायी नहीं होगा।

(7) एसपीई को अपने द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशकों को यह स्पष्ट करना चाहिए कि यह प्रतिभूतिकरण नोट बीमित नहीं हैं और उद्गमकर्ता, सर्वर अथवा न्यासियों की जमा देनदारियों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं।

29. उन मामलों में जहाँ उद्गमकर्ता ने किसी अन्य ऋणदाता से ऋण खरीदा है, पैरा 28 के प्रावधान उन ऋणदाता पर भी लागू होंगे जिनसे उद्गमकर्ता ने एक्सपोज़र खरीदे हैं।

बशर्ते कि पैरा 28 के उप-पैरा (4) के उद्देश्य के लिए, केवल उद्गमकर्ता अथवा उन ऋणदाता में से केवल एक, जिनसे उद्गमकर्ता द्वारा ऋण खरीदे गए थे, एसपीई के बोर्ड में प्रतिनिधि रख सकते हैं।

एच. अभ्यावेदन और वारंटी

30. एसपीई को आस्तियां बेचने वाला उद्गमकर्ता उन आस्तियों के संबंध में अभ्यावेदन और वारंटियां दे सकता है। यदि निम्नलिखित में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है तो उद्गमकर्ता ऐसे अभ्यावेदन और वारंटियों पर पूंजी रखेगा:

(1) (कोई भी अभ्यावेदन अथवा वारंटी केवल एक औपचारिक लिखित समझौते द्वारा प्रदान की जाती है।

(2) उद्गमकर्ता कोई भी अभ्यावेदन अथवा वारंटी देने अथवा स्वीकार करने से पहले उचित समुचित सावधानी करता है।

(3) अभ्यावेदन अथवा वारंटी तथ्यों की एक मौजूदा स्थिति को संदर्भित करती है जिसे आस्तियों की बिक्री के समय उद्गमकर्ता द्वारा सत्यापित किया जा सकता है।

(4) अभ्यावेदन अथवा वारंटी निर्बंध नहीं है और विशेष रूप से, आस्तियों की भविष्य की साख क्षमता, एसपीई के निष्पादन और/अथवा एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों से संबंधित नहीं है।

(5) किसी अभ्यावेदन अथवा वारंटी का प्रयोग, जिसके तहत उद्गमकर्ता को एसपीई को बेची गई आस्तियों (अथवा उनके किसी भी भाग) को बदलने की आवश्यकता होती है, निम्न प्रकार से होना चाहिए:

(i) एसपीई को आस्तियों के अंतरण के 120 दिनों के भीतर किया जाना चाहिए; और

(ii) मूल बिक्री के समान नियमों और शर्तों पर आयोजित किया जाना चाहिए।

(6) एक उद्गमकर्ता जिसे अभ्यावेदन अथवा वारंटी के उल्लंघन के लिए हर्जाना देने की आवश्यकता होती है, वह ऐसा कर सकता है बशर्ते हर्जाने का भुगतान करने का समझौता निम्नलिखित शर्तों को पूरा करता हो:

(i) अभ्यावेदन अथवा वारंटी के उल्लंघन के लिए सबूत का भार प्रत्येक समय ऐसा आरोप लगाने वाले पक्ष पर रहता है;

(ii) उल्लंघन का आरोप लगाने वाला पक्ष दावे का आधार विनिर्दिष्ट करते हुए दावे की लिखित नोटिस देता है; और

(iii) हर्जाना सीधे उल्लंघन के परिणामस्वरूप हुई हानि तक सीमित है।

(7) उद्गमकर्ता को उन सभी मामलों की सूचना आरबीआई (पर्यवेक्षण विभाग) को देनी चाहिए जहाँ वह एसपीई को बेची गई आस्तियों को बदलने अथवा किसी अभ्यावेदन अथवा वारंटी से उत्पन्न होने वाले हर्जाने का भुगतान करने के लिए सहमत हुआ है।

आई. लेखांकन प्रावधान

31. उद्गमकर्ता एसपीई को आस्तियां केवल नकद आधार पर बेचेंगे और बिक्री का प्रतिफल एसपीई को आस्ति के अंतरण के बाद प्राप्त नहीं होना चाहिए। इसके साथ, आस्तियों के अंतरण और प्रतिभूतिकरण नोटों के निर्गमन के बीच 30 दिनों से अधिक का अंतर नहीं होना चाहिए।

32. बिक्री के समय किसी भी हानि, लाभ अथवा प्रीमियम का तदनुसार लेखांकन किया जाना चाहिए और उस लेखांकन अवधि के लाभ और हानि खाते में परिलक्षित होना चाहिए जिसके दौरान बिक्री पूरी हुई है।

33. एसपीई को अंतर्निहित आस्तियों की बिक्री से उत्पन्न होने वाले अप्राप्त लाभों जैसे कि अपेक्षित भविष्य की मार्जिन आय (केवल-ब्याज स्ट्रिप्स अथवा अन्यथा द्वारा दर्शाया गया) के मामले में निम्नलिखित उपाय लागू होगा:

(1) अप्राप्त लाभ को लाभ और हानि खाते में मान्यता नहीं दी जानी चाहिए; इसके बजाय एआईएफआई *"ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ"* नाम के एक लेखांकन शीर्षक के तहत अप्राप्त लाभ रखेगा।

(2) लाभ को लाभ और हानि खाते में तभी मान्यता दी जा सकती है जब अपेक्षित भावी मार्जिन आय से जुड़े ऐसे अप्राप्त लाभ पुन: प्राप्त किए जाते हैं। जबकि, यदि अपेक्षित भावी मार्जिन आय से जुड़ा अप्राप्त लाभ क्रेडिट संवर्धित है (उदाहरण के लिए, क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप के रूप में), तो इस खाते में शेष राशि को हुए संभावित हानि के विरुद्ध एक प्रावधान के रूप में माना जा सकता है।

(3) परिशोधित क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप के मामले में, एआईएफआई को समय-समय पर नकद में केवल वही राशि प्राप्त होगी जो हानि को अवशोषित करने के बाद बचती है, यदि कोई हो, जो क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप द्वारा समर्थित है। प्राप्ति पर, इस राशि को लाभ और हानि खाते में जमा किया जा सकता है और देय परिशोधन के बराबर राशि को "ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते से बट्टे खाते में डाला जा सकता है, जिससे एआईएफआई की बहियों में क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप का बही मूल्य कम हो जाता है।

(4) गैर-परिशोधित क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप के मामले में, जब भी एआईएफआई को क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप के खिलाफ एसपीई द्वारा हानि के चार्ज-ऑफ की सूचना मिलती है, तो वह "ऋण अंतरण लेनदेन पर अप्राप्त लाभ" खाते के बदले समकक्ष राशि बट्टे खाते में डाल सकता है और बैंक की बहियों में क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप का बही मूल्य कम कर सकता है। नकद में प्राप्त क्रेडिट-संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप के अंतिम मोचन मूल्य में प्राप्त राशि को लाभ और हानि खाते में ले जाया जा सकता है।

अध्याय III - सरल, पारदर्शी और तुलनीय (एसटीसी) प्रतिभूतिकरण

ए. एसटीसी प्रतिभूतिकरण – विनियामक पूंजी प्रयोजन के लिए मानदंड

34. केवल वह प्रतिभूतिकरण जो इसके अतिरिक्त नीचे सूचीबद्ध सभी मानदंडों को पूरा करते हैं, एसटीसी फ्रेमवर्क के दायरे में आते हैं। उक्त मानदंड बैंकिंग पर्यवेक्षण पर बासेल समिति के अनुसार आधारित हैं। एसटीसी-अनुपालक प्रतिभूतिकरण के एक्सपोज़रों को वैकल्पिक पूंजी उपाय के अधीन किया जा सकता है जैसा कि भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 द्वारा निर्धारित किया गया है।

ए.1 आस्तियों की प्रकृति

35. प्रतिभूतिकरण की अंतर्निहित आस्तियां समरूप क्रेडिट दावे अथवा पैरा 5 से 9 के तहत पात्र प्राप्य होनी चाहिए। क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों में मूलधन, ब्याज अथवा मूलधन और ब्याज भुगतानों से संबंधित संविदात्मक रूप से पहचाने गए आवधिक भुगतान प्रवाह होने चाहिए। कोई भी संदर्भित ब्याज भुगतान अथवा छूट दरें एक बाहरी बेंचमार्क पर आधारित होनी चाहिए।

36. इस उद्देश्य के लिए, "समरूपता" मानदंड का मूल्यांकन निम्नलिखित सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए किया जाना चाहिए:

(1) आस्तियों की प्रकृति ऐसी होनी चाहिए कि प्रत्येक आस्ति का जोखिम विश्लेषण और समुचित सावधानी जांच करते समय निवेशकों को भौतिक रूप से भिन्न विधिक और/अथवा क्रेडिट जोखिम कारकों और जोखिम प्रोफाइलों का विश्लेषण और मूल्यांकन करने की आवश्यकता न हो।

(2) सामान्य जोखिम चालकों के आधार पर समरूपता का मूल्यांकन किया जाना चाहिए, जिसमें समान जोखिम कारक और जोखिम प्रोफाइल शामिल हैं।

(3) प्रतिभूतिकरण में शामिल क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों में आस्तियों से भुगतानों और/ अथवा आय के अधिकारों के संदर्भ में मानक दायित्व होने चाहिए और इसके परिणामस्वरूप निवेशकों को भुगतानों का एक आवधिक और अच्छे प्रकार से परिभाषित प्रवाह प्राप्त होना चाहिए।

(4) नोटधारकों का पुनर्भुगतान मुख्य रूप से प्रतिभूतित आस्तियों से मूलधन और ब्याज की प्राप्तियों पर निर्भर होना चाहिए। एक्सपोज़र को जमानती करने वाली आस्ति के पुनर्वित्त अथवा पुनर्विक्रय पर आंशिक निर्भरता हो सकती है, बशर्ते कि पुनर्वित्त पूल

के भीतर पर्याप्त रूप से वितरित हो और शेष मूल्य जिन पर लेनदेन निर्भर करता है वह पर्याप्त रूप से कम हों और इस प्रकार पुनर्वित्त पर निर्भरता महत्वपूर्ण न हो।

ए.2 आस्ति निष्पादन इतिहास

37. निवेशकों को उचित सम्यक तत्परता का संचालन करने के लिए आस्ति वर्ग पर पर्याप्त जानकारी प्रदान करने और विभिन्न दबाव परिदृश्यों में अपेक्षित हानि की अधिक सटीक गणना सक्षम करने के लिए पर्याप्त समृद्ध डेटा सेट तक पहुँच प्रदान करने के लिए, सत्यापन योग्य हानि निष्पादन डेटा जैसे कि बकाया और चूक डेटा, प्रतिभूतित किए जाने वाले जोखिमों के समान जोखिम विशेषताओं वाले क्रेडिट दावों और प्राप्य खातों के लिए उपलब्ध होना चाहिए, जो निवेशकों द्वारा सार्थक मूल्यांकन की अनुमति देने के लिए पर्याप्त लंबी अवधि के लिए हो।

38. डेटा के स्रोत और पहुँच और प्रतिभूतित किए जा रहे क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों के साथ समानता का दावा करने के आधार का प्रकटीकरण सभी बाजार सहभागियों को स्पष्ट रूप से किया जाना चाहिए।

39. प्रतिभूतिकरण के उद्गमकर्ता अथवा प्रतिभूतित किए गए एक्सपोज़रों के मूल ऋणदाता एआईएफआई,जैसा भी मामला हो, के पास प्रतिभूतित आस्तियों के समान जोखिमों के उद्गम का पर्याप्त अनुभव होना चाहिए। पूंजीगत उद्देश्यों के लिए, निवेशकों को यह निर्धारित करना होगा कि क्या उद्गमकर्ता का प्रतिभूतित किए जा रहे दावों अथवा प्राप्य खातों के समान निष्पादन इतिहास "उपयुक्त रूप से लंबी अवधि" के लिए स्थापित किया गया है। गैर-खुदरा एक्सपोज़रों के लिए यह निष्पादन इतिहास सात वर्ष की अवधि से कम नहीं होना चाहिए। खुदरा एक्सपोज़रों के लिए न्यूनतम निष्पादन इतिहास पांच वर्ष है।

ए.3 भुगतान की स्थिति

40. एसपीई को अंतरित किए जा रहे क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य, पूल में शामिल किए जाने के समय, ऐसे दायित्वों को शामिल नहीं कर सकते हैं जो चूक अथवा बकाया में हैं अथवा ऐसे दायित्व जिनके लिए उद्गमकर्ता, सर्वर और प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी रखने वाले अन्य पक्षों को अपेक्षित हानि में महत्वपूर्ण वृद्धि अथवा प्रवर्तन कार्रवाइयों के साक्ष्य की जानकारी है।

41. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतित क्रेडिट दावों और प्राप्य खातों की गुणवत्ता हामीदारी अंकन मानकों में बदलाव से प्रभावित न हो, उद्गमकर्ता को निवेशकों के सामने यह प्रदर्शित करना चाहिए कि एसपीई को हस्तांतरित किए जा रहे किसी भी क्रेडिट दावे या प्राप्य का उद्गम उद्गमकर्ता

के व्यवसाय के सामान्य क्रम में सामग्री रूप से गैर-बिगड़ते हामीदारी अंकन मानकों के तहत हुआ है।

42. उद्गमकर्ता को यह सत्यापित करना चाहिए कि अंतर्निहित क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य निम्नलिखित शर्तों को पूरा करते हैं:

(1) क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – दबावग्रस्त आस्तियों का समाधान) निदेश, 2025 में परिभाषित निगरानी अवधि के तहत नहीं हैं;

(2) देनदार के पास किसी क्रेडिट रेटिंग एजेंसी अथवा क्रेडिट स्कोर द्वारा क्रेडिट मूल्यांकन नहीं है जो चूक के महत्वपूर्ण जोखिम को इंगित करता है; और

(3) क्रेडिट दावा अथवा प्राप्य देनदार और उद्गमकर्ता के बीच किसी विवाद का विषय नहीं है।

43. इन शर्तों का मूल्यांकन उद्गमकर्ता द्वारा प्रतिभूतिकरण के प्रभावी होने की तिथि से 45 दिन पहले नहीं किया जाना चाहिए। इसके साथ, इस मूल्यांकन के समय, उद्गमकर्ता की सर्वोत्तम जानकारी के अनुसार, क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य की निष्पादन स्थिति में संभावित गिरावट को इंगित करने वाला कोई साक्ष्य नहीं होना चाहिए।

ए.4 हामीदारी अंकन की निरंतरता

44. हामीदारी अंकन मानक तुलन-पत्र पर प्रतिधारित क्रेडिट दावों और प्राप्य खातों पर लागू मानकों से कम सख्त नहीं होने चाहिए। सभी परिस्थितियों में, सभी क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों का उद्गम इस मूल्यांकन के आधार पर ध्वनि और विवेकपूर्ण हामीदारी अंकन मानदंडों के अनुसार किया जाना चाहिए कि देनदार के पास अपने दायित्वों पर "समय पर भुगतान करने की क्षमता और इच्छा" है।

45. प्रतिभूतिकरण के उद्गमकर्ता से अपेक्षा की जाती है, जहाँ अंतर्निहित क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य तीसरे पक्षों से अधिग्रहित किए गए हैं, कि वह इन तीसरे पक्षों के हामीदारी अंकन मानकों की समीक्षा करे (अर्थात् उनके अस्तित्व की जांच करे और उनकी गुणवत्ता का मूल्यांकन करे) और यह सुनिश्चित करे कि उन्होंने दायित्वों पर "समय पर भुगतान करने की क्षमता और इच्छा" का मूल्यांकन किया है।

ए.5 आस्ति चयन और अंतरण

46. जबकि प्रतिभूतिकरण में अंतरित आस्तियां उद्गमकर्ता के बोर्ड द्वारा अनुमोदित परिभाषित मानदंडों के अधीन होंगी, प्रतिभूतिकरण का निष्पादन प्रतिभूतिकरण के अंतर्निहित पोर्टफोलियो के विवेकाधीन आधार पर सक्रिय प्रबंधन द्वारा आस्तियों के निरंतर चयन पर निर्भर नहीं होना चाहिए।

स्पष्टीकरण: जब तक वह सक्रिय रूप से चयनित नहीं होते हैं अथवा अन्यथा विवेकाधीन आधार पर चेरी-चयन नहीं होते हैं, पुनःपूर्ति अवधि के दौरान क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों का जोड़ अथवा अभ्यावेदन और वारंटियों के उल्लंघन के कारण उनका प्रतिस्थापन अथवा पुनर्खरीद सक्रिय पोर्टफोलियो प्रबंधन का प्रतिनिधित्व नहीं करती है।

47. प्रतिभूतिकरण में अंतरित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों को स्पष्ट रूप से परिभाषित पात्रता मानदंडों को पूरा करना चाहिए। प्रतिभूतिकरण के प्रभावी होने की तिथि के बाद प्रतिभूतिकरण में अंतरित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों को विवेकाधीन आधार पर सक्रिय रूप से चयनित, सक्रिय रूप से प्रबंधित अथवा अन्यथा चेरी-चयन नहीं किया जा सकता है।

48. प्रतिभूतिकरण ऐसा होना चाहिए कि अंतर्निहित क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य:

(1) देनदार के समक्ष प्रवर्तनीय हों और उनकी प्रवर्तनीयता उद्गमकर्ता के अभ्यावेदन और वारंटियों में शामिल हो;

(2) विक्रेता,उसके लेनदारों अथवा परिसमापकों की पहुँच से बाहर हों और महत्वपूर्ण पुनर्वर्गीकरण या क्लॉबैक जोखिमों के अधीन न हों;

(3) क्रेडिट चूक स्वैप, डेरिवेटिव अथवा गारंटी द्वारा प्रभावित न हों, बल्कि प्रतिभूतिकरण के लिए क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों के अंतरण द्वारा प्रभावित हों;

(4) अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों के लिए अंतिम दायित्व के लिए प्रभावी दायित्व प्रदर्शित करते हैं और अन्य प्रतिभूतिकरणों का प्रतिभूतिकरण नहीं हैं; और

(5) विनियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए, एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष विधिक राय को इस दावे का समर्थन करना चाहिए कि लागू कानूनों के तहत आस्तियों का अंतरण उपरोक्त उप-पैरा का अनुपालन करता है।

49. उद्गमकर्ता को अभ्यावेदन और वारंटियां प्रदान करनी चाहिए कि एसपीई को अंतरित किए जा रहे क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य किसी भी ऐसी शर्त अथवा भार के अधीन नहीं हैं जो देय संग्रहों के संबंध में प्रवर्तनीयता को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर सकती हैं।

50. एक नई पहल में निवेश करने से पहले उचित समुचित सावधानी में निवेशकों की सहायता के लिए, लागू कानूनों के अनुसार पर्याप्त ऋण-स्तरीय डेटा अथवा, ग्रैन्यूलर पूल के मामले में, अंतर्निहित पूल की प्रासंगिक जोखिम विशेषताओं पर सारांश स्तरीकरण डेटा प्रतिभूतिकरण के मूल्य निर्धारण से पहले संभावित निवेशकों के लिए उपलब्ध होना चाहिए।

ए.6 प्रारंभिक और चालू डेटा

51. निवेशकों को उनके निवेश के निष्पादन की उचित और निरंतर निगरानी करने में सहायता के लिए और जिससे जो निवेशक द्वितीयक बाजार में प्रतिभूतिकरण खरीदना चाहते हैं उनके पास उचित समुचित सावधानी के लिए पर्याप्त जानकारी हो, लागू कानूनों के अनुसार समय पर ऋण-स्तरीय डेटा अथवा अंतर्निहित पूल की जोखिम विशेषताओं पर ग्रैन्यूलर पूल स्तरीकरण डेटा और मानकीकृत निवेशक रिपोर्ट प्रतिभूतिकरण के पूरे जीवनकाल के दौरान कम से कम तिमाही रूप से वर्तमान और संभावित निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध होनी चाहिए। ऋण-स्तरीय अथवा ग्रैन्यूलर पूल स्तरीकरण डेटा की अंतिम तिथियों को निवेशक रिपोर्टिंग के लिए उपयोग की जाने वाली तिथियों के साथ संरेखित किया जाना चाहिए।

52. यह आश्वासन प्रदान करने के लिए कि अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों की रिपोर्टिंग सटीक है और अंतर्निहित क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं, प्रारंभिक पोर्टफोलियो की पात्रता आवश्यकताओं के साथ अनुरूपता के लिए एक उपयुक्त विधिक रूप से जवाबदेह और स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा समीक्षा की जानी चाहिए।

स्पष्टीकरण: समीक्षा में यह पुष्टि होनी चाहिए कि एसपीई को अंतरित किए गए क्रेडिट दावे अथवा प्राप्य पोर्टफोलियो पात्रता आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। समीक्षा, उदाहरण के लिए, एक न्यूनतम आत्मविश्वास स्तर के आवेदन के साथ, प्रारंभिक पोर्टफोलियो के एक प्रतिनिधि नमूने पर की जा सकती है। सत्यापन रिपोर्ट प्रदान करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन इसके परिणाम, किसी भी महत्वपूर्ण अपवाद सहित, प्रारंभिक प्रस्तावित दस्तावेजों में प्रकट किए जाने चाहिए।

ए.7 मोचन नकद प्रवाह

53. यह सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए कि अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों को छोटी अवधि में पुनर्वित्त करने की आवश्यकता नहीं है, एसपीई की देनदारियों को चुकाने के लिए अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों की बिक्री अथवा पुनर्वित्त पर निर्भरता नहीं होनी चाहिए, जब तक कि क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य का अंतर्निहित पूल पर्याप्त रूप से ग्रैन्यूलर न हो और पर्याप्त रूप से वितरित पुनर्भुगतान प्रोफाइल न रखता हो। मोचन भुगतानों का समर्थन करने के लिए विनिर्दिष्ट आस्तियों से आय प्राप्त करने के अधिकारों को इस संबंध में पात्र क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य के रूप में माना जाना चाहिए।

ए.8 मुद्रा और ब्याज दर आस्ति और देयता अंतर

54. आस्तियों और देनदारियों के विभिन्न ब्याज दर और मुद्रा प्रोफाइलों से उत्पन्न होने वाले भुगतान जोखिम को कम करने के लिए और नकद प्रवाह को मॉडल करने की निवेशकों की क्षमता में सुधार के लिए, ब्याज दर और विदेशी मुद्रा जोखिमों को हर समय समुचित रूप से कम किया जाना चाहिए, और यदि कोई हेजिंग लेनदेन निष्पादित किया जाता है तो लेनदेन को उद्योग-मानक मास्टर समझौतों के अनुसार प्रलेखित किया जाना चाहिए। केवल ब्याज दर और/अथवा मुद्रा के आस्ति और देनदारी असंतुलित के वास्तविक हेजिंग के लिए उपयोग किए जाने वाले डेरिवेटिव की अनुमति दी जानी चाहिए।

(1) पूंजीगत उद्देश्यों के लिए, "उचित रूप से कम" शब्द को अनिवार्य रूप से पूरी तरह से सही हेज की आवश्यकता के रूप में नहीं समझा जाना चाहिए। लेनदेन के काल के दौरान ब्याज दर और विदेशी मुद्रा के शमन की उपयुक्तता संभावित निवेशकों को समय पर और नियमित तरीके से मात्रात्मक जानकारी उपलब्ध कराकर प्रदर्शित की जानी चाहिए, जिसमें कल्पित राशियों का वह अंश शामिल है जो हेज किया गया है, साथ ही संवेदनशीलता विश्लेषण जो चरम लेकिन प्रशंसनीय परिदृश्यों के तहत हेज की प्रभावशीलता को दर्शाता है।

(2) यदि हेज डेरिवेटिव के माध्यम से नहीं किए जाते हैं, तो उन जोखिम-शमन उपायों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब वे विशेष रूप से किसी वैयक्तिक और विशिष्ट जोखिम को हेज करने के उद्देश्य से बनाए और उपयोग किए जाते हैं, न कि एक ही समय में कई जोखिमों (जैसे क्रेडिट और ब्याज दर जोखिम) के लिए। गैर-डेरिवेटिव जोखिम शमन उपाय पूरी तरह से वित्त पोषित और हर समय उपलब्ध होने चाहिए।

ए.9 भुगतान प्राथमिकताएं और अवलोकनीयता

55. निवेशक रिपोर्टों में ऐसी जानकारी होनी चाहिए जो निवेशकों को उन संकेतकों के समय के साथ विकास की निगरानी करने की अनुमति देती है जो उत्प्रेरक के अधीन हैं। भुगतान तिथियों के बीच टूटे हुए किसी भी उत्प्रेरक का प्रकटीकरण सभी अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेजों के नियमों और शर्तों के अनुसार समय पर निवेशकों को किया जाना चाहिए।

56. निष्पादन से संबंधित उत्प्रेरक होने, चूक की घटना अथवा त्वरण घटना के बाद, प्रतिभूतिकरण स्थितियों का पुनर्भुगतान ट्रेंच वरिष्ठता के क्रम में अनुक्रमिक परिशोधन भुगतान प्राथमिकता के अनुसार किया जाना चाहिए, और बाजार मूल्य पर अंतर्निहित आस्तियों के तत्काल परिसमापन की आवश्यकता वाले प्रावधान नहीं होने चाहिए।

57. प्रतिभूतिकरण के नकद प्रवाह वॉटरफॉल को उचित रूप से मॉडल करने की क्षमता में निवेशकों की सहायता के लिए, उद्गमकर्ता को प्रतिभूतिकरण के मूल्य निर्धारण से पहले और निरंतर आधार पर, एक देनदारी नकद प्रवाह मॉडल अथवा नकद प्रवाह प्रावधानों पर जानकारी निवेशकों को उपलब्ध करानी चाहिए जो प्रतिभूतिकरण नकद प्रवाह वॉटरफॉल के उचित मॉडलिंग की अनुमति देती है।

58. यह सुनिश्चित करने के लिए कि कर्ज़ माफी, ऋण, भुगतान अवकाश, पुनर्गठन और अन्य आस्ति निष्पादन उपायों की स्पष्ट रूप से पहचान की जा सके, बकाया, चूक अथवा अंतर्निहित देनदारों के पुनर्गठन से संबंधित नीतियों और प्रक्रियाओं, परिभाषाओं, उपायों और कार्रवाइयों को स्पष्ट और सुसंगत शर्तों में प्रदान किया जाना चाहिए, ताकि निवेशक निरंतर आधार पर कर्ज़ माफी, ऋण स्थगन, भुगतान अवकाश, पुनर्गठन और अन्य आस्ति निष्पादन उपायों की स्पष्ट रूप से पहचान कर सकें।

ए.10 मतदान और प्रवर्तन अधिकार

59. नोट धारकों के अधिकारों और अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों पर नियंत्रण और प्रवर्तन की उनकी क्षमता की स्पष्टता सुनिश्चित करने में मदद करने के लिए, उद्गमकर्ता के दिवालिया होने पर, क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों से संबंधित सभी मतदान और प्रवर्तन अधिकार एसपीई को अंतरित किए जाने चाहिए। प्रतिभूतिकरण में निवेशकों के अधिकारों को सभी परिस्थितियों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए, जिसमें वरिष्ठ बनाम कनिष्ठ नोट धारकों के अधिकार शामिल हैं।

ए.11 दस्तावेज़ीकरण प्रकटीकरण और विधिक समीक्षा

60. नए प्रस्ताव में निवेश करने से पहले निवेशकों को नियमों, शर्तों, विधिक और वाणिज्यिक जानकारी को पूरी तरह से समझने में मदद और यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह जानकारी सभी कार्यक्रमों और प्रस्तावों के लिए स्पष्ट और प्रभावी तरीके से निर्धारित की गई है, पर्याप्त प्रारंभिक प्रस्तावों और मसौदा अंतर्निहित दस्तावेज निवेशकों को मूल्य निर्धारण से पहले एक तर्कसंगत रूप से पर्याप्त अवधि के भीतर उपलब्ध कराए जाने चाहिए (और निरंतर आधार पर संभावित निवेशकों के लिए आसानी से उपलब्ध होने चाहिए), अथवा जब विधिक रूप से अनुमत हो, ताकि निवेशक को सूचित निवेश निर्णय लेने के लिए आवश्यक विधिक और वाणिज्यिक जानकारी और व्यापक जोखिम कारकों का पूर्ण प्रकटीकरण प्रदान किया जा सके।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के उद्देश्य के लिए, प्रारंभिक प्रस्ताव दस्तावेज़ीकरण का अर्थ आमतौर पर मसौदा प्रस्ताव परिपत्र, मसौदा प्रस्ताव ज्ञापन, मसौदा प्रस्ताव दस्तावेज अथवा मसौदा विवरण-पत्र जैसे कि "रेड हेरिंग" होगा, जबकि मसौदा अंतर्निहित दस्तावेज़ीकरण का अर्थ आमतौर पर आस्ति बिक्री समझौता, समनुदेशन, नवीयन अथवा अंतरण करार; सर्विसिंग, बैकअप सर्विसिंग, प्रशासन और नकद प्रबंधन समझौते; ट्रस्ट/प्रबंधन विलेख, सुरक्षा विलेख, एजेंसी करार, खाता बैंक करार, गारंटीकृत निवेश अनुबंध, निगमन शर्तें अथवा मास्टर ट्रस्ट फ्रेमवर्क अथवा मास्टर परिभाषा करार जैसा भी लागू हो; कोई भी सुसंगत अंतर-लेनदार करार, स्वैप अथवा डेरिवेटिव दस्तावेज, अधीनस्थ ऋण करार, स्टार्ट-अप ऋण समझौते और चलनिधि सुविधा करार; और विधिक सलाह सहित कोई भी अन्य सुसंगत अंतर्निहित दस्तावेज होगा।

61. अंतिम प्रस्ताव दस्तावेज समापन तिथि से उपलब्ध होने चाहिए और उसके तुरंत बाद सभी अंतिम अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेज उपलब्ध होने चाहिए। इन्हें इस तरह से तैयार किया जाना चाहिए कि पाठक सुसंगत जानकारी आसानी से प्राप्त, समझ और उपयोग कर सकें।

ए.12 प्रत्ययी और संविदात्मक जिम्मेदारियां

62. यह सुनिश्चित करने के लिए कि प्रतिभूतिकरण लेनदेन के सभी दस्तावेजों की प्रकाशन से पहले उचित समीक्षा की गई है, प्रतिभूतिकरण की शर्तों और दस्तावेजों की समीक्षा किसी उपयुक्त अनुभवी तृतीय-पक्ष विधिक फर्म द्वारा की जानी चाहिए, जैसे कि लेन-देन के पक्षों में से एक द्वारा पहले से ही निर्देश दिया गया कानूनी वकील। ऐसे दस्तावेजों में किसी भी बदलाव के बारे में निवेशकों को समय पर सूचित किया जाना चाहिए जिसका प्रतिभूतिकरण में संरचनात्मक जोखिमों पर प्रभाव पड़ता है।

63. यह सुनिश्चित करने में मदद के लिए कि सर्वर के पास व्यापक वर्कआउट विशेषज्ञता, गहन विधिक और संपार्श्विक ज्ञान और हानि शमन में एक सिद्ध ट्रैक रिकॉर्ड है, ऐसे पक्षों को उद्योग के व्यापक अनुभव वाली प्रबंधन टीम द्वारा समर्थित अंतर्निहित क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों की सर्विसिंग में विशेषज्ञता का निष्पादन करने में सक्षम होना चाहिए। सर्विसकर्त्ता को हर समय उचित और विवेकपूर्ण मानकों के अनुसार कार्य करना चाहिए।

64. नीतियां, प्रक्रियाएं और जोखिम प्रबंधन नियंत्रण अच्छी तरह से प्रलेखित और अच्छी बाजार प्रथाओं और प्रासंगिक विनियामक व्यवस्थाओं का पालन करनेवाली होनी चाहिए। मजबूत प्रणाली और रिपोर्टिंग क्षमताएं होनी चाहिए। पूंजीगत उद्देश्यों के लिए "मजबूत प्रणाली और रिपोर्टिंग क्षमताएं मौजूद हैं" इसका मूल्यांकन करने में, अच्छी तरह से प्रलेखित नीतियां, प्रक्रियाएं

और जोखिम प्रबंधन नियंत्रण, साथ ही मजबूत प्रणाली और रिपोर्टिंग क्षमताओं को एक स्वतंत्र तृतीय-पक्ष समीक्षा द्वारा प्रमाणित किया जा सकता है।

65. प्रत्ययी जिम्मेदारी वाला पक्ष अथवा पक्ष समय पर प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के सर्वोत्तम हितों में कार्य करेंगे, और प्रारंभिक प्रस्ताव और सभी अंतर्निहित दस्तावेजों दोनों में लागू कानून द्वारा अनुमत सीमा तक, ट्रस्टियों द्वारा नोट धारकों की विभिन्न श्रेणियों के बीच विवादों के समय पर समाधान की सुविधा प्रदान करने वाले प्रावधान शामिल होने चाहिए।

66. प्रतिभूतिकरण और निवेशकों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी रखने वाले पक्ष अथवा पक्षों को एसपीई के प्रशासन में अपनी देखभाल के कर्तव्यों का पालन करने के लिए पर्याप्त कौशल और संसाधनों का निष्पादन करने में सक्षम होना चाहिए।

67. निवेशकों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी रखने वाले के रूप में पहचाने गए लोगों के साथ-साथ सर्वर द्वारा समय पर अपने कर्तव्यों को पूरी तरह से निष्पादित करने की संभावना को बढ़ाने के लिए, पारिश्रमिक ऐसा होना चाहिए कि इन पक्षों को समय पर और पूरी तरह से अपनी जिम्मेदारियों को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित किया जाए और वह ऐसा करने में सक्षम हों।

ए.13 निवेशकों के लिए पारदर्शिता

68. निवेशकों को पूर्ण पारदर्शिता प्रदान करने, उनकी सम्यक तत्परता के संचालन में निवेशकों की सहायता करने और निवेशकों को नकद प्रवाह संग्रह और सर्विसिंग में अप्रत्याशित व्यवधानों के अधीन होने से रोकने के लिए, प्रतिभूतिकरण के सभी प्रमुख पक्षों के संविदात्मक दायित्वों, कर्तव्यों और जिम्मेदारियों,प्रत्ययी जिम्मेदारी वाले और सहायक सेवा प्रदाताओं दोनों को प्रारंभिक प्रस्ताव और सभी अंतर्निहित दस्तावेजों दोनों में स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए।

स्पष्टीकरण: इस पैरा के उद्देश्य के लिए, "प्रारंभिक प्रस्ताव" और "अंतर्निहित लेनदेन दस्तावेज़ीकरण" का वही अर्थ होगा जो ऊपर पैरा 60 के स्पष्टीकरण में दिया गया है।

69. प्रतिभूतिकरण के किसी भी ऐसे प्रतिपक्ष की विफलता अथवा गैर-निष्पादन अथवा दिवालियापन अथवा साख क्षमता में अन्य गिरावट की स्थिति में सर्विसकर्त्ता, बैंक खाता प्रदाताओं, डेरिवेटिव प्रतिपक्षों और चलनिधि प्रदाताओं के प्रतिस्थापन के लिए प्रावधानों का दस्तावेजीकरण किया जाना चाहिए।

70. प्रत्येक समय सभी प्राप्तियों, भुगतानों और बही प्रविष्टियों पर पारदर्शिता और दृश्यता बढ़ाने के लिए, निवेशकों को निष्पादन रिपोर्ट में प्रतिभूतिकरण की आय और संवितरण को अलग-अलग रिपोर्ट करना चाहिए, जैसे कि अनुसूचित मूलधन, मोचन मूलधन, अनुसूचित ब्याज, प्रीपेड मूलधन,

अतिदेय ब्याज और शुल्क और प्रभार, ऋण माफी और भुगतान अवकाश के तहत बकाया, चूक और पुनर्गठित राशियां, जिसमें मूलधन और ब्याज की कमी वाली बहियों के लिए जमा की जाने वाली राशियों का सटीक लेखांकन शामिल है।

ए.14 अंतर्निहित एक्सपोज़रों का क्रेडिट जोखिम

71. पोर्टफोलियो अंतिम तारीख (जिस तिथि के बाद इन निदेशों के तहत अनुमत अभ्यावेदन और वारंटियों के उल्लंघन के अतिरिक्त एसपीई को कोई क्रेडिट दावा अथवा प्राप्य अंतरण नहीं होगा) पर, अंतर्निहित एक्सपोज़रों को क्रेडिट जोखिम के लिए मानकीकृत दृष्टिकोण के तहत शर्तों को पूरा करना होगा और किसी भी पात्र क्रेडिट जोखिम शमन को लेखा उपरांत, जोखिम भार के समान अथवा उससे कम समनुदेश के लिए:

(1) पोर्टफोलियो के लिए मूल्य-भारित औसत जोखिम के आधार पर 40 प्रतिशत, जहाँ जोखिम आवासीय बंधक अथवा पूरी तरह से गारंटीकृत आवासीय ऋणों द्वारा जमानती ऋण हैं;

(2) वैयक्तिक एक्सपोज़र के आधार पर 50 प्रतिशत, जहाँ एक्सपोज़र वाणिज्यिक बंधक द्वारा जमानती ऋण है;

(3) वैयक्तिक एक्सपोज़र के आधार पर 75 प्रतिशत, जहाँ एक्सपोज़र खुदरा एक्सपोज़र है; अथवा

(4) किसी अन्य एक्सपोज़र के लिए वैयक्तिक एक्सपोज़र के आधार पर 100 प्रतिशत।

ए.15 पूल की ग्रैन्यूलरटी

72. पोर्टफोलियो अंतिम तारीख पर, एकल देनदार के लिए सभी एक्सपोज़रों का कुल मूल्य पोर्टफोलियो में सभी एक्सपोज़रों के कुल बकाया एक्सपोज़र मूल्य के एक प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।

बशर्ते कि लागू अधिकतम संकेंद्रण सीमा को बढ़ाकर दो प्रतिशत किया जा सकता है यदि उद्गमकर्ता अधीनस्थ ट्रेंच (ट्रेंचों) को प्रतिधारित करता है जो क्रेडिट वृद्धि बनाते हैं, हानि अवशोषित करने वाले होते हैं, और जो कम से कम पहली 10 प्रतिशत हानियों को कवर करते हैं। उद्गमकर्ता द्वारा प्रतिधारित यह ट्रेंच एसटीसी पूंजी उपचार के लिए पात्र नहीं होंगे।

बी. एसटीसी प्रतिभूतिकरण के लिए प्रकटीकरण और विवेकपूर्ण निगरानी

73. उद्गमकर्ता निवेशकों को लेनदेन स्तर पर सभी आवश्यक जानकारी प्रकट करेगा ताकि निवेशक यह निर्धारित कर सकें कि प्रतिभूतिकरण एसटीसी अनुपालक है अथवा नहीं। उद्गमकर्ता द्वारा

प्रदान की गई जानकारी के आधार पर, निवेशक को वैकल्पिक पूंजी उपाय लागू करने से पहले प्रतिभूतिकरण की एसटीसी अनुपालन स्थिति का अपना मूल्यांकन स्वयं करना चाहिए।

74. उद्गमकर्ता द्वारा प्रतिधारित प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के लिए, जहाँ भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 की आवश्यकताओं के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्रेडिट जोखिम अंतरण प्राप्त किया गया है, एसटीसी आवश्यकताओं के अनुपालन का निर्धारण उद्गमकर्ता द्वारा किया जाएगा।

75. एसटीसी मानदंडों को हर समय पूरा करने की आवश्यकता है। कुछ मानदंडों के अनुपालन की जांच केवल एसटीसी प्रतिभूतिकरण के उद्गम के समय (अथवा गारंटी अथवा चलनिधि सुविधाओं के मामले में एक्सपोज़र शुरू करने के समय) आवश्यक हो सकती है।

(1) तथापि, निवेशकों और प्रतिभूतिकरण स्थितियों के धारकों से अपेक्षा की जाती है कि वह उन घटनाओं को ध्यान में रखें जो पिछले अनुपालन मूल्यांकन को अमान्य कर सकती हैं, उदाहरण के लिए निवेशक रिपोर्टों की आवृत्ति और सामग्री में कमियां, हित के संरेखण में, अथवा प्रासंगिक एसटीसी मानदंडों से भिन्न लेनदेन दस्तावेजों में परिवर्तन।

76. उन मामलों में जहाँ मानदंड अंतर्निहित को संदर्भित करते हैं, और पूल गतिशील है, मानदंडों का अनुपालन हर बार पूल में आस्तियों को जोड़े जाने पर गतिशील जांच के अधीन होगा। आस्तियों को जोड़ने के मानदंड सुसंगत लेनदेन दस्तावेजों में स्पष्ट रूप से वर्णित होंगे।

77. निवेशकों को इस बात पर विचार करना चाहिए कि क्या उद्गमकर्ता, सर्विसकर्त्ता और प्रतिभूतिकरण नोट धारकों के प्रति प्रत्ययी जिम्मेदारी रखने वाले अन्य पक्षों के पास प्रतिभूतित किए जा रहे दावों अथवा प्राप्य खातों के समान क्रेडिट दावों अथवा प्राप्य खातों के लिए एक उपयुक्त लंबी अवधि का स्थापित निष्पादन इतिहास है।

78. आरबीआई पर्यवेक्षी समीक्षा के भाग के रूप में उद्गमकर्ता सहित एआईएफआई द्वारा किए गए अधिमान्य विनियामक पूंजी उपचार समानुदेश की पुष्टि करेगा। यदि यह पाया जाता है कि कोई लेनदेन विनियामक पूंजी उद्देश्यों के लिए एसटीसी मानदंडों को पूरा नहीं करता है, तो आरबीआई उचित पर्यवेक्षी कार्रवाई करेगा, जिसमें पिलर 2 फ्रेमवर्क के तहत अतिरिक्त पूंजी और/अथवा उस विशिष्ट लेनदेन के लिए अधिमान्य विनियामक पूंजी उपाय को अस्वीकार करना शामिल है और संभावित रूप से दूसरों के लिए भी।

अध्याय IV - प्रतिभूतिकरण संरचनाओं का समर्थन करने वाली सुविधाओं का प्रावधान

ए. सामान्य शर्तें

79. ऋणदाता क्रेडिट वृद्धि सुविधाएं, चलनिधि सुविधाएं, हामीदारी अंकन सुविधाएं और सेवाएं सुविधा जैसी सहायक सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं। ऋणदाताओं के अतिरिक्त, चूंकि ऐसी सुविधाएं उन संस्थाओं द्वारा भी प्रदान की जा सकती हैं जो ऋणदाता नहीं हैं, इस अध्याय में ऐसी सुविधाएं प्रदान करने वाली संस्थाओं को "सुविधा प्रदाता" कहा गया है। ऐसे सुविधा प्रदाता (प्रदाताओं) को कम से कम एक वित्तीय क्षेत्र विनियामक द्वारा विनियमित किया जाना चाहिए।

80. सुविधा प्रदाताओं द्वारा प्रदान की जाने वाली उपरोक्त सुविधाएं, इस अध्याय के शेष पैरा में प्रत्येक सुविधा के लिए निर्धारित विशिष्ट शर्तों के अतिरिक्त, निम्नलिखित शर्तों को पूरा करेंगी:

(1) सुविधा का प्रावधान इस तरह से संरचित होना चाहिए कि इसे अन्य सुविधाओं से अलग रखा जा सके और सुविधा प्रदाता द्वारा प्रदान की गई किसी भी अन्य सुविधा से अलग प्रलेखित किया जा सके। सुविधा की प्रकृति, उद्देश्य, सीमा और प्रदर्शन के सभी आवश्यक मानकों को लेनदेन के उद्गम के समय निष्पादित किए जाने वाले लिखित समझौते में स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट किया जाना चाहिए और प्रस्ताव दस्तावेज में प्रकट किया जाना चाहिए।

(2) सुविधा बाजार के नियमों और शर्तों पर ' स्वतंत्र सव्यवहार आधार पर प्रदान की जाती है और सुविधा प्रदाता की सामान्य क्रेडिट अनुमोदन और समीक्षा प्रक्रिया के अधीन होती है।

(3) सुविधा के लिए किसी भी शुल्क अथवा अन्य आय का भुगतान अधीनस्थ अथवा आस्थगित अथवा छूट के अधीन नहीं है।

(4) सुविधा एक विनिर्दिष्ट राशि और अवधि तक सीमित है।

(5) सुविधा की अवधि निम्नलिखित तिथियों में से जो भी पहले हो, तक सीमित है:

(i) एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों से जुड़े सभी दावों का भुगतान किया जाता है; अथवा

(ii) ऐसी सुविधा के संबंध में सुविधा प्रदाता के दायित्वों को अन्यथा समाप्त कर दिया जाता है।

(6) निश्चित संविदात्मक दायित्वों से परे सुविधा प्रदाता के लिए कोई अवलंब (रिकोर्स) नहीं होना चाहिए। विशेष रूप से, सुविधा प्रदाता को प्रतिभूतिकरण के किसी भी आवर्ती खर्च को वहन नहीं करना चाहिए।

(7) सुविधा प्रदाता ने विधिक सलाह प्राप्त की है कि समझौते की शर्तें प्रतिभूतिकरण में निवेशकों अथवा एसपीई / ट्रस्टी के प्रति किसी भी दायित्व से उसकी सुरक्षा करती हैं, बशर्ते कि सुविधा प्रावधान को नियंत्रित करने वाले समझौते के अनुसार उसके संविदात्मक दायित्वों के संबंध में।

(8) एसपीई और/अथवा एसपीई द्वारा जारी प्रतिभूतिकरण नोटों के निवेशकों के पास इन निदेशों के निर्देशों के अनुपालन के अधीन सुविधा प्रदान करने के लिए एक वैकल्पिक पक्ष चुनने का स्पष्ट अधिकार है।

बी. क्रेडिट वृद्धि सुविधाएं

81. क्रेडिट वृद्धि प्रतिकूल परिस्थितियों में प्रतिभूतित आस्तियों पर हानि को कवर करने के लिए अतिरिक्त सुरक्षा/वित्तीय सहायता के प्रावधान के माध्यम से एक संरचित वित्तीय लेनदेन के क्रेडिट प्रोफाइल को बढ़ाने की प्रक्रिया है। वृद्धि को मोटे तौर पर दो प्रकारों में विभाजित किया जा सकता है अर्थात आंतरिक क्रेडिट वृद्धि और बाहरी क्रेडिट वृद्धि।

स्पष्टीकरण (1): एक क्रेडिट वृद्धि जो निवेशकों के लिए अंतर्निहित उधारकर्ताओं के अतिरिक्त अन्य संस्थाओं के लिए एक्सपोज़र देता है, बाहरी क्रेडिट वृद्धि कहलाता है। उदाहरण के लिए, नकद संपार्श्विक और प्रथम/द्वितीय हानि गारंटी बाहरी प्रकार के क्रेडिट वृद्धि हैं।

स्पष्टीकरण (2): अधीनस्थ ट्रेंच में निवेश, अति-संपार्श्विकता, अतिरिक्त स्प्रेड, क्रेडिट संवर्धित केवल-ब्याज स्ट्रिप्स आंतरिक प्रकार के क्रेडिट वृद्धि हैं।

82. क्रेडिट वृद्धि सुविधाओं में वह सभी व्यवस्थाएं शामिल हैं जिनके परिणामस्वरूप सुविधा प्रदाता प्रतिभूतिकरण लेनदेन में निवेशकों के हानि को अवशोषित कर सकता है। ऐसी सुविधाएं उद्गमकर्ताओं और तीसरे पक्षों दोनों द्वारा प्रदान की जा सकती हैं। क्रेडिट वृद्धि सुविधाएं प्रदान करने वाले सुविधा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों, ऐसा न करने पर क्रेडिट वृद्धि प्रदाता को प्रतिभूतित आस्तियों के पूर्ण मूल्य के बराबर पूंजी रखने की आवश्यकता होगी:

(1) पैरा 79 और 80 में सभी विनिर्दिष्ट शर्तें।

(2) क्रेडिट वृद्धि सुविधा केवल प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत में ही प्रदान की जानी चाहिए।

(3) प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत में विस्तारित क्रेडिट वृद्धि की राशि प्रतिभूतिकरण नोटों की पूरी अवधि के दौरान एसपीई के लिए उपलब्ध होनी चाहिए, जिसके संबंध में ऐसी क्रेडिट वृद्धि प्रदान की जाती है, जो इन निदेशों के तहत विशेष रूप से अनुमत ऐसे क्रेडिट वृद्धि के किसी भी पुनर्निर्धारण के अधीन है।

(4) क्रेडिट वृद्धि के किसी भी उपयोग/ आहरण को सुविधा प्रदाता द्वारा लाभ और हानि खाते में डेबिट करके तुरंत बट्टे खाते में डाला जाना चाहिए।

सी. क्रेडिट वृद्धि का पुनर्निर्धारण

83. पुनर्निर्धारण को बाहरी प्रकार के क्रेडिट वृद्धि पर लागू किया जा सकता है, जो प्रथम अथवा द्वितीय हानि की स्थिति में है। प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत के समय प्रदान किए गए बाहरी क्रेडिट वृद्धि की मूल राशि को क्रेडिट वृद्धि प्रदाता द्वारा नीचे दी गई शर्तों के अधीन पुनर्निर्धारण किया जा सकता है:

(1) पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण नोटों की सभी बकाया किश्तों (इक्विटी भाग के अतिरिक्त) को पुनः रेटिंग दी जानी चाहिए। यदि इन प्रतिभूतिकरण स्थितियों की मूल रेटिंग की तुलना में किसी भी किश्त की रेटिंग में गिरावट आई है, तो क्रेडिट वृद्धि के पहले पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि पिछले पुनर्निर्धारण के समय की रेटिंग की तुलना में किसी भी किश्त की रेटिंग में गिरावट आई है, तो बाद के पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं दी जाएगी।

(2) यदि ऊपर (1) के संदर्भ में पुनर्निर्धारण की अनुमति है, तो मूल अथवा वर्तमान बकाया रेटिंग, जो भी अधिक हो, को बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रेडिट वृद्धि की राशि पहले पुनर्निर्धारण के लिए संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए। इसी तरह, बाद के पुनर्निर्धारण के लिए, पिछले पुनर्निर्धारण के समय की रेटिंग और वर्तमान बकाया रेटिंग में से जो भी अधिक हो, उसे बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रेडिट वृद्धि की राशि संबंधित रेटिंग एजेंसी द्वारा निर्धारित की जानी चाहिए।

बशर्ते कि केवल वही रेटिंग एजेंसी,इसके निरंतर रेटिंग संचालन के अधीन, जिसने शुरू में प्रतिभूतिकरण लेनदेन को रेटिंग दी थी, क्रेडिट वृद्धि के पुनर्निर्धारण के उद्देश्य से इसे पुनः रेटिंग देगी। इस विनियामक सलाह का

कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए सक्षम करने वाले खंड और वाणिज्यिक शर्तों को मूल अनुबंध का भाग बनाया जाना चाहिए, ऐसा न करने पर क्रेडिट वृद्धि पुनर्निर्धारण निष्पादित नहीं किया जा सकता है।

(3) क्रेडिट वृद्धि का पुनर्निर्धारण प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशकों की सहमति के अधीन होगा। सहमति या तो प्रत्येक पुनर्निर्धारण के दौरान स्पष्ट रूप से प्राप्त की जा सकती है अथवा लेनदेन दस्तावेजों में सामान्य खंड हो सकते हैं जो क्रेडिट वृद्धि के पुनर्निर्धारण के लिए निवेशकों की अंतर्निहित सहमति प्रदान करते हैं।

(4) लेनदेन की संविदात्मक शर्तों में क्रेडिट वृद्धि के पुनर्निर्धारण का प्रावधान होना चाहिए और लेनदेन की प्रारंभिक रेटिंग में पुनर्निर्धारण की संभावना को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ऐसे संविदात्मक खंड में स्पष्ट रूप से परिभाषित पोर्टफोलियो-स्तरीय बकाया ट्रिगर शामिल होने चाहिए, जो यदि पूरे होते हैं, तो इसके परिणामस्वरूप क्रेडिट वृद्धि पुनर्निर्धारण उपलब्ध अथवा संभव नहीं होना चाहिए।

(5) यदि ऐसा संविदात्मक खंड मूल रूप से उपलब्ध नहीं था, तो क्रेडिट वृद्धि का पुनर्निर्धारण बकाया प्रतिभूतिकरण नोटों के सभी निवेशकों की सहमति के अधीन किया जा सकता है।

(6) जिन संरचनाओं में बाहरी क्रेडिट वृद्धि मौजूद हैं जो प्रथम हानि क्रेडिट वृद्धि (एफएलसीई) और द्वितीय हानि क्रेडिट वृद्धि (एसएलसीई) प्रदान करते हैं, पुनर्निर्धारण को एफएलसीई और एसएलसीई के बीच अनुपात में एक साथ किया जा सकता है ताकि पुनर्निर्धारण एसएलसीई की कम से कम बकाया रेटिंग [जैसा कि उप-पैरा (2) में परिकल्पित है] को बनाए रखे।

(7) इक्विटी भाग के पुनर्निर्धारण की अनुमति नहीं है क्योंकि यह आंतरिक क्रेडिट वृद्धि के पुनर्निर्धारण के बराबर होगा।

84. आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरणों के अतिरिक्त अन्य सभी प्रतिभूतिकरणों के लिए, प्रथम पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत में सौंपी गई कुल मूल राशि का कम से कम 50 प्रतिशत परिशोधित होना चाहिए। इसके बाद के पुनर्निर्धारण पूल मूलधन के 10 प्रतिशत के चरणों में परिशोधित होने के बाद किए जा सकते हैं, अर्थात् मूल स्तर के कम से कम 60 प्रतिशत, 70 प्रतिशत और 80 प्रतिशत

तक। हालांकि, लगातार पुनर्निर्धारण के बीच कम से कम छह महीने का अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।

85. आवासीय बंधक-समर्थित प्रतिभूतिकरणों के लिए, प्रथम पुनर्निर्धारण के समय, प्रतिभूतिकरण लेनदेन की शुरुआत में सौंपी गई कुल मूल राशि का कम से कम 25 प्रतिशत परिशोधित होना चाहिए। इसके बाद के पुनर्निर्धारण पूल मूलधन के प्रत्येक 10 प्रतिशत (मूल स्तर के) आगे के परिशोधन पर किए जा सकते हैं। लगातार पुनर्निर्धारण के बीच कम से कम छह महीने का अंतर बनाए रखा जाना चाहिए।

86. अतिरिक्त क्रेडिट वृद्धि को निम्नलिखित शर्तों के अधीन जारी किया जा सकता है:

(1) क्रेडिट वृद्धि जारी करना लेनदेन के समय प्रदान किए गए प्रारंभिक क्रेडिट वृद्धि के प्रतिशत के रूप में एक आरक्षित फ्लोर के अधीन होगा, अर्थात् किसी भी समय, उपलब्ध क्रेडिट वृद्धि का स्तर, किसी भी पुनर्निर्धारण के बाद, निर्धारित आरक्षित फ्लोर से नीचे नहीं जाएगा। इस प्रकार, यदि रेटिंग बनाए रखने के लिए आवश्यक क्रेडिट वृद्धि का स्तर, जैसा कि पुनर्निर्धारण के दौरान क्रेडिट रेटिंग एजेंसी द्वारा मूल्यांकन किया गया है, आरक्षित फ्लोर से कम है, पुनर्निर्धारण के लिए उपलब्ध अतिरिक्त राशि की गणना उपलब्ध क्रेडिट वृद्धि और आरक्षित फ्लोर के बीच अंतर के रूप में की जाएगी।

(2) फ्लोर का निर्धारण आस्ति वर्ग, उद्गमकर्ता के ट्रैक रिकॉर्ड और पूल विशिष्ट अन्य कारकों जैसे पूल में दीर्घकालिक अनुबंधों के संकेंद्रण के आधार पर लेनदेन संरचना पर आधारित हो सकता है, और किसी भी मामले में इससे कम नहीं होना चाहिए:

(i) आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरणों के अतिरिक्त अन्य प्रतिभूतिकरणों के लिए प्रारंभिक क्रेडिट वृद्धि का 30 प्रतिशत; और

(ii) आवासीय बंधक समर्थित प्रतिभूतिकरणों के लिए प्रारंभिक क्रेडिट वृद्धि का 20 प्रतिशत।

(3) उपरोक्त उप-पैरा (1) में इंगित आरक्षित फ्लोर को पूरा करने के अधीन, किसी भी समय, उन्हें सौंपे गए पैरा 83 के उप-पैरा (2) में संदर्भित सभी ट्रेंचों की क्रेडिट रेटिंग को बनाए रखने के लिए आवश्यक सीमा से अधिक क्रेडिट वृद्धि के अधिकतम 60 प्रतिशत को जारी करने के लिए विचार किया जा सकता है।

(4) पुनर्निर्धारण के कारण उद्गमकर्ताओं द्वारा प्रतिधारित एक्सपोज़र उनके द्वारा दिए गए क्रेडिट वृद्धि के साथ पैरा 10 से 15 में निर्दिष्ट एमआरआर के स्तर से नीचे नहीं जाने चाहिए।

87. हितधारकों के बीच एक सामान्य समझ की सुविधा प्रदान करने के लिए और बाज़ार को अच्छे पूल निष्पादन और सीई पुनर्निर्धारण के बीच के संबंध को समझने की अनुमति देने के लिए, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां प्रेस विज्ञप्ति के माध्यम से सीई पुनर्निर्धारण से संबंधित जानकारी प्रसारित करेंगी और यह पुष्टि करेंगी कि रेटिंग ऐसे पुनर्निर्धारण से प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं होगी।

डी. चलनिधि सुविधाएं

88. अंतर्निहित आस्तियों से नकद प्रवाह की प्राप्ति और निवेशकों को किए जाने वाले भुगतानों के बीच एसपीई द्वारा सामना किए जाने वाले समय के अंतर को सुचारू बनाने में मदद करने के लिए एक चलनिधि सुविधा प्रदान की जाती है। सुविधा के क्रेडिट वृद्धि और/अथवा क्रेडिट सहायता के रूप में कार्य करने की संभावना से बचाव के लिए एक चलनिधि सुविधा को निम्नलिखित सभी शर्तों को पूरा करना चाहिए:

(1) पैरा 79 और 80 में सभी विनिर्दिष्ट शर्तें।

(2) सुविधा के लिए दस्तावेज़ीकरण में उन परिस्थितियों को स्पष्ट रूप से परिभाषित किया जाना चाहिए जिनके तहत सुविधा प्राप्त की जा सकती है अथवा नहीं की जा सकती है।

(3) केवल तभी सुविधा प्राप्त की जा सकने योग्य होनी चाहिए जहाँ आहरण को कवर करने के लिए गैर-चूक आस्तियों का पर्याप्त स्तर हो, अथवा उन आस्तियों की पूरी राशि जो अनर्जक हो सकती हैं, एक महत्वपूर्ण क्रेडिट वृद्धि द्वारा कवर की जाती हैं।

(4) सुविधा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए नहीं ली जाएगी:

(i) क्रेडिट वृद्धि प्रदान करना;

(ii) एसपीई के हानि को कवर करना;

(iii) स्थायी परिक्रामी निधीयन के रूप में काम करना अर्थात चलनिधि सहायता सामान्य नियम के बजाय एक अपवाद; और

(iv) आहरण से पहले एक्सपोज़रों के अंतर्निहित पूल में हुए किसी भी हानि को कवर करना।

(5) चलनिधि सुविधा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए उपलब्ध नहीं होनी चाहिए:

(i) प्रतिभूतिकरण के आवर्ती व्ययों को पूरा करना;

(ii) एसपीई द्वारा अतिरिक्त आस्तियों के अधिग्रहण का निधीयन;

(iii) निवेशकों के अंतिम निर्धारित पुनर्भुगतान का निधीयन; और

(iv) वारंटियों के उल्लंघन का निधीयन।

(6) सुविधा एसपीई को प्रदान की जानी चाहिए, न कि सीधे निवेशकों को।

(7) जब चलनिधि सुविधा का उपयोग किया जाता है, तो सुविधा प्रदाता का अंतर्निहित आस्तियों से भविष्य के नकद प्रवाह पर प्राथमिकता का दावा होगा, और इस प्रकार यह वरिष्ठ ट्रेंच से वरिष्ठ होगा।

(8) किसी भी स्वतंत्र तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की जाने वाली चलनिधि सहायता में किसी भी कमी को पूरा करने के लिए उद्गमकर्ता उत्तरदायी नहीं होना चाहिए।

89. यदि इनमें से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो चलनिधि सुविधा को क्रेडिट वृद्धि के आर्थिक उद्देश्य की पूर्ति के रूप में माना जाएगा। ऐसे मामलों में, तीसरे पक्ष द्वारा प्रदान की गई चलनिधि सुविधा को क्रेडिट वृद्धि के रूप में माना जाएगा।

90. चूंकि चलनिधि सुविधा का उद्देश्य अस्थायी नकद प्रवाह बेमेल को दूर करना है, अत: यह सुविधा केवल छोटी अवधि के लिए ही ली जाएगी, अधिमानतः निवेशकों को लगातार दो पुनर्भुगतानों के लिए उपयोग नहीं की जाएगी। यदि सुविधा के तहत

आहरण 90 दिनों से अधिक समय के लिए बकाया रहते हैं, तो इसे एनपीए के रूप में वर्गीकृत और इसका पूरी तरह से प्रावधान किया जाना चाहिए।

ई. हामीदारी अंकन (हामीदारी अंकन) सुविधाएं

91. एक उद्गमकर्ता अथवा तृतीय-पक्ष सेवा प्रदाता एसपीई द्वारा प्रतिभूतिकरण नोटों के निर्गमन के लिए हामीदार के रूप में कार्य कर सकता है और निम्नलिखित शर्तों के अधीन पूंजी पर्याप्तता उद्देश्यों के लिए सुविधा को हामीदारी अंकन सुविधा के रूप में मान सकता है:

(1) पैरा 79 और 80 में सभी विनिर्दिष्ट शर्तें पूरी होती हैं।

(2) हामीदारी अंकन केवल तभी लागू होती है जब एसपीई हामीदारी अंकन समझौते में पूर्व-निर्धारित बेंचमार्क के बराबर अथवा उससे अधिक कीमत पर बाजार में प्रतिभूतिकरण नोट जारी नहीं कर सकता है।

(3) विनिर्दिष्ट घटनाओं के होने पर (उदा. महत्वपूर्ण प्रतिकूल परिवर्तन अथवा विनिर्दिष्ट स्तर से ऊपर आस्तियों पर चूक) सुविधा प्रदाता के पास भुगतान रोकने और यदि आवश्यक हो तो सुविधा को समाप्त करने की क्षमता है।

92. यदि उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, तो सुविधा को क्रेडिट वृद्धि माना जाएगा।

93. एक उद्गमकर्ता एसपीई द्वारा जारी केवल निवेश ग्रेड वरिष्ठ नोटों को ही हामीदारी देना कर सकता है। हामीदारी अंकन के माध्यम से उद्गमकर्ता को अंतरित प्रतिभूतिकरण नोटों की धारिता पैरा 23 के प्रावधानों को अपनाएगी नहीं, बशर्ते कि उन्हें अधिग्रहण के बाद तीन महीने की अवधि के भीतर असंबद्ध तीसरे पक्ष को बेच दिया जाए। अधिग्रहण और तीन महीने तक की अवधि के लिए, उद्गमकर्ता पूंजी बनाए रखेगा जैसे कि जोखिम उद्गमकर्ता की बहियों में रखे गए थे।

एफ. सर्विसिंग सुविधाएं

94. सेवा सुविधा प्रदाता प्रतिभूतित आस्तियों का अभिशासन अथवा सेवा करता है। अत:, सेवा सुविधा समझौते में संविदात्मक रूप से प्रदान की गई सीमा को छोड़कर (जहाँ सेवा सुविधा प्रदाता द्वारा चूक, उल्लंघन, लापरवाही अथवा धोखाधड़ी से

एसपीई की क्षतिपूर्ति की जाती है), एसपीई द्वारा किए गए किसी भी नुकसान का समर्थन करने का उसका कोई दायित्व नहीं होना चाहिए, और इसे प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों में निवेशकों को प्रदर्शित करने में सक्षम होना चाहिए। स्वदेशी अथवा तृतीय-पक्ष प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए सेवा प्रदाता की भूमिका निभाने वाले सुविधा प्रदाता को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि निम्नलिखित शर्तें पूरी हों:

(1) पैरा 79 और 80 में सभी विनिर्दिष्ट शर्तें।

(2) सेवा प्रदाता पर एसपीई अथवा निवेशकों को धनराशि भेजने का तब तक कोई दायित्व नहीं होना चाहिए जब तक कि उसे अंतर्निहित आस्तियों से उत्पन्न धनराशि प्राप्त न हो जाए बशर्ते कि जहाँ वह एक पात्र चलनिधि सुविधा का प्रदाता भी है।

(3) सेवा प्रदाता निवेशकों की ओर से अंतर्निहित से उत्पन्न नकद प्रवाह को ट्रस्ट में रखेगा और इन नकद प्रवाहों को अपने स्वयं के नकद प्रवाह के साथ मिलाने से बचाएगा।

(4) सेवा प्रदाता अन्य क्षमताओं में प्रतिभूतिकरण लेनदेन में किसी भी प्रतिधारित हित के बगैर, सहमत तंत्र के अनुसार एसपीई को प्रतिभूतित पूल का भाग बनने वाले अंतर्निहित ऋणों से उत्पन्न होने वाले सभी नकद प्रवाहों को प्रेषित करेगा।

95. जहाँ उपरोक्त में से कोई भी शर्त पूरी नहीं होती है, सेवा प्रदाता को एसपीई अथवा निवेशकों को चलनिधि सुविधा प्रदान करने वाला माना जा सकता है और पूंजी पर्याप्तता के उद्देश्य से तदनुसार व्यवहार किया जा सकता है।

अध्याय V - प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों में निवेशक एआईएफआई द्वारा पूरी की जाने वाली आवश्यकताएं

ए. समुचित सावधानी आवश्यकताएं

96. एआईएफआई प्रतिभूतित नोटों में तभी निवेश कर सकता है जब उद्गमकर्ता ने क्रय करने वाले एआईएफआई को स्पष्ट रूप से प्रकट किया हो कि उसने एमआरआर और एमएचपी आवश्यकताओं का पालन किया है और इस निदेश में दी गई सलाह के अनुसार निरंतर आधार पर एमआरआर का पालन करेगा।

97. इसके साथ, केवल तभी जब उद्गमकर्ता ने स्पष्ट रूप से प्रकट किया हो कि उसने अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) निदेशों के लागू प्रावधानों का पालन किया है, एआईएफआई ऐसे प्रतिभूतित नोटों में निवेश कर सकता है।

98. एआईएफआई के पास हर समय अपने वैयक्तिक प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों की जोखिम विशेषताओं के साथ-साथ अपने प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के अंतर्निहित पूलों की जोखिम विशेषताओं की व्यापक समझ होनी चाहिए। एआईएफआई को यह भी प्रदर्शित करना होगा कि ऐसा मूल्यांकन करने के लिए उसने उपयुक्त औपचारिक नीतियों और प्रक्रियाओं को लागू किया है।

99. एआईएफआई को निरंतर आधार पर अंतर्निहित पूलों पर निष्पादन जानकारी तक पहुँचने में सक्षम होना चाहिए। ऐसी जानकारी में, जैसा कि उपयुक्त हो, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: औसत क्रेडिट स्कोर अथवा साख के समान समुच्चय के माध्यम से औसत क्रेडिट गुणवत्ता, ऋणों के पूल के विविधीकरण की सीमा, ऋणों का समर्थन करने वाले संपार्श्विकों के बाजार मूल्यों की अस्थिरता, आर्थिक गतिविधियों की चक्रीयता जिसमें अंतर्निहित उधारकर्ता लगे हुए हैं, एक्सपोज़र प्रकार, पूर्व-भुगतान दरें, संपत्ति के प्रकार, अधिभोग, आदि।

100. एआईएफआई को प्रतिभूतिकरण लेनदेन की सभी संरचनात्मक विशेषताओं की गहन समझ होनी चाहिए जो लेनदेन के प्रति उनके एक्सपोज़रों के प्रदर्शन को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करेंगी। ऐसी जानकारी में, जैसा कि उपयुक्त हो, निम्नलिखित शामिल हो सकते हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं है: ट्रेंच की वरिष्ठता, अधीनस्थ ट्रेंचों की मोटाई, पूर्व-भुगतान जोखिम और क्रेडिट वृद्धि पुनर्निर्धारण के प्रति इसकी संवेदनशीलता, पुनर्भुगतान वॉटरफॉल की संरचना,

वॉटरफॉल से संबंधित ट्रिगर, ट्रेंचों के अनुक्रमिक पुनर्भुगतान में ट्रेंच की स्थिति, चलनिधि वृद्धि , चलनिधि सुविधाओं के मामले में क्रेडिट वृद्धि की उपलब्धता, चूक की सौदा-विशिष्ट परिभाषा, आदि।

101. उपरोक्त के अतिरिक्त, एआईएफआई को प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र के संबंध में निर्णय लेते समय निम्नलिखित पर ध्यान देना, विश्लेषण करना और रिकॉर्ड करना चाहिए:

(1) क्रेडिट मूल्यांकन और क्रेडिट निगरानी मानकों के पालन, यदि प्रतिभूतित आस्तियां खरीदी गई थीं तो उस मामले में सम्यक तत्परता मानकों के पालन, पहले के प्रतिभूतिकरणों में न्यूनतम प्रतिधारण और न्यूनतम धारिता मानकों के पालन और प्रतिभूतिकरण के लिए एक्सपोज़रों का चयन करने में निष्पक्षता के संदर्भ में उद्गमकर्ताओं की प्रतिष्ठा;

(2) प्रतिभूतिकरण स्थिति के अंतर्निहित सुसंगत एक्सपोज़र वर्गों में उद्गमकर्ताओं के पिछले प्रतिभूतिकरणों में हानि का अनुभव, अंतर्निहित उधारकर्ताओं द्वारा की गई किसी भी धोखाधड़ी की घटना, उद्गमकर्ता द्वारा किए गए अभ्यावेदन और वारंटियों की सच्चाई;

(3) प्रतिभूतित एक्सपोज़रों पर और जहाँ लागू हो प्रतिभूतित एक्सपोज़रों का समर्थन करने वाली संपार्श्विक की गुणवत्ता पर उनकी सम्यक तत्परता के बारे में उद्गमकर्ताओं, अथवा उनके एजेंटों अथवा सलाहकारों द्वारा दिए गए बयान और प्रकटीकरण; और

(4) जहाँ लागू हो, वह पद्धतियाँ और अवधारणाएँ जिन पर प्रतिभूतित एक्सपोज़रों का समर्थन करने वाली संपार्श्विक का मूल्यांकन आधारित है और मूल्यांकनकर्ता की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए उद्गमकर्ता द्वारा अपनाई गई नीतियां।

बी. दबाव परीक्षण

102. एआईएफआई को अपनी प्रतिभूतिकरण स्थितियों के लिए उपयुक्त स्वयं के दबाव परीक्षण नियमित रूप से करने चाहिए। इस उद्देश्य के लिए, जिन विभिन्न कारकों पर विचार किया जा सकता है, उनमें शामिल हैं, लेकिन यह इन्हीं तक सीमित नहीं हैं: आर्थिक मंदी की स्थिति में अंतर्निहित पोर्टफोलियो में चूक दरों में वृद्धि, ब्याज दर में गिरावट अथवा उधारकर्ताओं के आय स्तर में वृद्धि के कारण पूर्व-भुगतान दरों में वृद्धि जिसके कारण एक्सपोज़रों का समय से पहले मोचन होता है, क्रेडिट वर्धकों की रेटिंग में गिरावट के परिणामस्वरूप प्रतिभूतिकरण नोटों के

बाज़ार मूल्य में गिरावट और प्रतिभूतिकरण नोटों की चलनिधि अवशोषित के परिणामस्वरूप उच्च विवेकपूर्ण मूल्यांकन समायोजन। दबाव परीक्षणों के परिणामों के आधार पर, यदि आवश्यक हो तो किसी भी उच्च जोखिम का समर्थन करने के लिए अतिरिक्त पूंजी रखी जाएगी।

सी. क्रेडिट निगरानी और मूल्यांकन

103. एआईएफआई के पास बोर्ड द्वारा अनुमोदित नीतियां होंगी जिनमें उनके द्वारा निवेश किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के मूल्यांकन का विवरण होगा। नीतियों में अन्य बातों के साथ-साथ मूल्यांकन के लिए उपयोग किए जाने वाले मॉडल, मॉडल को रेखांकित करने वाली धारणाएं, मूल्यांकन मॉडल और इसके मापदंडों का बैक-टेस्टिंग और दबाव परीक्षण करने से संबंधित नीति आदि का वर्णन होना चाहिए। बोर्ड द्वारा अनुमोदित मूल्यांकन नीतियां और एआईएफआई द्वारा प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेश स्थितियों को मूल्यांकन सौंपने में ऐसी नीतियों का उपयोग पर्यवेक्षी समीक्षा का एक भाग होगा।

104. प्रतिभूतिकरण नोटों में निवेशक के लिए प्रतिपक्ष एसपीई नहीं होगा बल्कि अंतर्निहित आस्तियां होंगी जिनके संबंध में देनदारों से नकद प्रवाह की उम्मीद है। एआईएफआई के प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़र भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था – संकेंद्रण मानदंड) निदेश, 2025 में विनिर्दिष्ट अनुसार बड़े एक्सपोज़र फ्रेमवर्क के तहत "लुक थ्रू अप्रोच" (एलटीए) की आवश्यकताओं के अधीन होंगे।

105. एआईएफआई को निरंतर आधार और समयबद्ध तरीके से अपनी प्रतिभूतिकरण स्थितियों के अंतर्निहित एक्सपोज़रों पर निष्पादन की जानकारी की निगरानी करने की आवश्यकता है और यदि आवश्यक हो तो उचित कार्रवाई करनी होगी। कार्रवाई में प्रतिभूतिकरण के अंतर्निहित आस्ति वर्ग के निश्चित प्रकार के एक्सपोज़र सीमाओं में संशोधन, उद्गमकर्ताओं पर लागू सीमाओं में संशोधन आदि शामिल हो सकते हैं।

106. इस उद्देश्य के लिए, एआईएफआई को अपनी बैंकिंग बही और ट्रेडिंग बही के लिए उपयुक्त और पैरा 99 से 101 में निर्धारित अनुसार प्रतिभूतित स्थितियों में अपने एक्सपोज़रों के जोखिम प्रोफाइल के अनुरूप औपचारिक प्रक्रियाएं स्थापित करनी चाहिए। जहाँ सुसंगत हो, इसमें एक्सपोज़र प्रकार, 30, 60 और 90 दिनों से अधिक बकाया ऋणों का प्रतिशत, चूक दरें, पूर्व-भुगतान दरें, मोचन निषेध में ऋण, संपार्श्विक

प्रकार और अधिभोग और अंतर्निहित एक्सपोज़रों में क्रेडिट स्कोर का बारंबारता वितरण अथवा साख क्षमता के अन्य उपाय, उद्योग और भौगोलिक विविधता, बैंडविड्थ के साथ ऋण से मूल्य अनुपात का बारंबारता वितरण शामिल होगा जो पर्याप्त संवेदनशीलता विश्लेषण की सुविधा प्रदान करता है। एआईएफआई प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों की निगरानी के लिए अनुबंध । में दिए गए फॉर्म में उद्गमकर्ताओं द्वारा किए गए प्रकटीकरण का उपयोग कर सकता है।

अध्याय VI - प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं और प्रकटीकरण मानदंड

ए. प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के लिए पूंजीगत आवश्यकताएं

107. एआईएफआई प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए क्रेडिट जोखिम शमनकर्ताओं के प्रावधान, आस्ति-समर्थित अथवा बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों में निवेश, अधीनस्थ ट्रेंच के प्रतिधारण, और चलनिधि सुविधा अथवा क्रेडिट वृद्धि के विस्तार से उत्पन्न होने वाली सभी प्रतिभूतिकरण जोखिम राशियों के समक्ष पूंजी बनाए रखेगा। प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं पर एआईएफआई भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - पूंजी पर्याप्तता पर विवेकपूर्ण मानदंड) निदेश, 2025 द्वारा निदेशित होगा।

बी. प्रकटीकरण

108. जहाँ भी तृतीय-पक्ष सर्विसिंग एजेंट की सेवा ली गई है, उद्गमकर्ता यह सुनिश्चित करेगा कि अपेक्षित आवृत्ति और कठोरता के साथ निर्धारित रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का पालन करने के लिए मजबूत और कानूनी रूप से बाध्यकारी सूचना साझाकरण तंत्र मौजूद हैं। तृतीय-पक्ष संस्थाओं से डेटा प्राप्त करने के ऐसे मामलों में, उद्गमकर्ता को संबंधित तृतीय-पक्ष लेखापरीक्षकों द्वारा विधिवत प्रमाणित जानकारी प्राप्त करनी चाहिए, अधिमानतः एक वर्ष से अधिक की आवृत्ति पर नहीं।

बी.1 सर्वर/निवेशक/ट्रस्टी रिपोर्ट में किए जाने वाले प्रकटीकरण

109. उद्गमकर्ता (उद्गमकर्ताओं) को निवेशकों के समक्ष प्रतिभूतित आस्तियों की भारित औसत धारिता अवधि और प्रतिभूतिकरण में उनके एमआरआर के स्तर का प्रकटीकरण करना चाहिए।

110. उद्गमकर्ता (उद्गमकर्ताओं) को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि भावी निवेशकों के पास वैयक्तिक अंतर्निहित एक्सपोज़रों की क्रेडिट गुणवत्ता और निष्पादन, नकद प्रवाह और प्रतिभूतिकरण एक्सपोज़रों का समर्थन करने वाली संपार्श्विक के साथ-साथ ऐसी जानकारी तक आसानी से उपलब्ध पहुँच हो जो अंतर्निहित एक्सपोज़रों का समर्थन करने वाले नकद प्रवाह और संपार्श्विक मूल्यों पर व्यापक और अच्छी तरह से सूचित दबाव परीक्षण करने के लिए आवश्यक है।

111. एमएचपी और एमआरआर की अपनी पूर्ति का उद्गमकर्ता द्वारा प्रकटीकरण सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराया जाना चाहिए और इसे उचित रूप से प्रलेखित किया जाएगा; उदाहरण के लिए,

उस प्रतिभूतिकरण कार्यक्रम के तहत जारी प्रतिभूतिकरण नोटों के लिए विवरण- पत्र में प्रतिधारण प्रतिबद्धता का संदर्भ उपयुक्त माना जाएगा।

(1) प्रकटीकरण लेनदेन के उद्गम के समय किया जाना चाहिए और उसके बाद न्यूनतम अर्ध-वार्षिक (सितंबर और मार्च) में इसकी पुष्टि की जानी चाहिए, और किसी भी बिंदु पर जहाँ आवश्यकता का उल्लंघन होता है।

(2) उपरोक्त आवधिक प्रकटीकरण प्रत्येक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए अलग से, इसके पूरे जीवनकाल के दौरान, सर्वर रिपोर्ट, निवेशक रिपोर्ट, ट्रस्टी रिपोर्ट अथवा प्रकाशित किसी समान दस्तावेज में किया जाना चाहिए।

112. उपरोक्त प्रकटीकरण अनुबंध I में दिए गए प्रारूप में किया जाएगा। ये प्रकटीकरण लेनदेन के पूरे जीवनकाल के दौरान प्रत्येक प्रतिभूतिकरण लेनदेन के लिए अलग से किए जाएंगे।

बी.2 खातों के नोट्स में किए जाने वाले प्रकटीकरण

113. एआईएफआई सभी प्रकटीकरण-संबंधित आवश्यकताओं के लिए भारतीय रिज़र्व बैंक (अखिल भारतीय वित्तीय संस्था - वित्तीय विवरण: प्रस्तुति और प्रकटीकरण) निदेश, 2025 द्वारा निदेशित होगा।

बी.3 रिज़र्व बैंक को लेन-देन की रिपोर्टिंग

114. उद्गमकर्ता को तिमाही आधार पर जारी किए गए प्रतिभूतिकरण नोटों के विवरण सहित किए गए प्रतिभूतिकरण लेनदेन के विवरण रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत करने होंगे। इसके लिए प्रारूप अलग से संप्रेषित किया जाएगा और उसमें दी गई तारीख से प्रभावी होगा।

अध्याय VII : निरसन और अन्य प्रावधान

ए. निरसन और बचत

115. इन निदेशों के जारी होने के साथ, अखिल भारतीय वित्तीय संस्था पर लागू प्रतिभूतिकरण लेनदेन से संबंधित मौजूदा निदेशों, अनुदेशों और दिशानिर्देशों को निरस्त कर दिया गया है, जैसा कि परिपत्र विवि.आरआरसी.आरईसी.302/33-01-010/2025-26 दिनांक 28 नवंबर, 2025 द्वारा सूचित किया गया है। इन निदेशों को जारी करने से पहले निरस्त किए गए निदेश, अनुदेश और दिशानिर्देश निरस्त रहेंगे।

116. इस तरह के निरसन के बावजूद, निरस्त निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों के तहत की गई अथवा की गई अथवा शुरू की गई कोई भी कार्रवाई उसके प्रावधानों द्वारा अभिशासित होगी। इन निरस्त सूचियों के तहत दी गई सभी स्वीकृतियों अथवा स्वीकृतियों को इन निदेशों द्वारा अभिशासित माना जाएगा। इसके साथ, इन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त करने से किसी भी तरह से पूर्वाग्रहपूर्ण रूप से प्रभावित नहीं होगा:

(1) उसके तहत प्राप्त, अर्जित अथवा उपगत किया गया कोई भी अधिकार, दायित्व अथवा देयता;

(2) इसके तहत किए गए किसी भी उल्लंघन के संबंध में कोई भी दंड, जब्ती अथवा सजा;

(3) पूर्वोक्त के रूप में इस तरह के किसी भी अधिकार, विशेषाधिकार, दायित्व, देयता, दंड, जब्ती अथवा सजा के संबंध में कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय; और इस तरह की कोई भी जांच, विधिक कार्यवाही अथवा उपाय स्थापित, जारी अथवा लागू किया जा सकता है और इस तरह के किसी भी दंड, जब्ती अथवा सजा को लगाया जा सकता है जैसे कि उन निदेशों, अनुदेशों अथवा दिशानिर्देशों को निरस्त नहीं किया गया था।

बी. अन्य कानूनों का अनुप्रयोग वर्जित नहीं

117. इन निदेशों के उपबंध तत्समय लागू किसी अन्य कानूनों, नियमों, विनियमों अथवा निदेशों के उपबंधों के अतिरिक्त होंगे और उनका अवहेलना नहीं करेंगे।

सी. व्याख्याएं

118. इन निदेशों के उपबंधों को प्रभावी बनाने के प्रयोजन से अथवा इन निदेशों के उपबंधों के आवेदन अथवा व्याख्या में आने वाली किसी भी कठिनाई को दूर करने के लिए, भारतीय रिज़र्व बैंक, यदि आवश्यक समझे, तो इसमें शामिल किसी भी मामले के संबंध में आवश्यक स्पष्टीकरण जारी कर सकता है और भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दिए गए इन निदेशों के किसी भी प्रावधान की व्याख्या अंतिम और बाध्यकारी होगी।

(वैभव चतुर्वेदी)

मुख्य महाप्रबंधक

अनुबंध ।

प्रस्ताव दस्तावेजों, सेवाकर्ता रिपोर्ट, निवेशक रिपोर्ट आदि में प्रकटीकरण आवश्यकताओं के लिए गैर- परिपूर्ण * प्रारूप

नाम/पहचान सं. प्रतिभूतिकरण लेनदेन की संख्या:

	प्रकटीकरण की प्रकृति		**विवरण**	**राशि/प्रतिशत/वर्ष**
1	अंतर्निहित आस्तियों की परिपक्वता विशेषताएँ (प्रकटीकरण की तारीख पर)	(i)	अंतर्निहित आस्तियों की भारित औसत परिपक्वता (वर्षों में)	
		(ii)	अंतर्निहित आस्तियों का परिपक्वता-वार वितरण:	
			ए) एक वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्ति का प्रतिशत	
			बी) एक से तीन वर्ष के भीतर परिपक्व होने वाली आस्ति का प्रतिशत	
			सी) तीन से पांच वर्षों के भीतर परिपक्व होने वाली आस्ति का प्रतिशत	
			डी) पांच साल के बाद परिपक्व होने वाली आस्ति का प्रतिशत	
2	प्रतिभूतीकृत आस्तियों की न्यूनतम जोत अवधि (एमएचपी)	(i)	आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार आवश्यक एमएचपी (वर्ष/महीने)	
		(ii)	ए) प्रतिभूतिकरण के समय प्रतिभूतीकृत आस्तियों की भारित औसत जोत अवधि (वर्ष/महीने)	
			बी) प्रतिभूतीकृत आस्तियों की न्यूनतम और अधिकतम जोत अवधि	
3	न्यूनतम प्रतिधारण आवश्यकता(एमआरआर) प्रकटीकरण की तारीख पर	(i)	प्रकटीकरण की तारीख को प्रतिभूतीकृत और बकाया आस्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत के रूप में आरबीआई के दिशानिर्देशों के अनुसार एमआरआर	

		(ii)	प्रकटीकरण की तारीख को प्रतिभूतीकृत और बकाया आस्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत के रूप में वास्तविक प्रतिधारण	
		(iii)	प्रतिभूतीकृत आस्तियों के बही मूल्य के प्रतिशत में एमआरआर का गठन करने वाले प्रतिधारित एक्सपोज़र के प्रकार (प्रकटीकरण की तारीख को प्रतिभूतीकृत और बकाया आस्तियों के बही मूल्य का प्रतिशत)	
			ए) ऋण वृद्धि (अर्थात् इक्विटी/अधीनस्थ किश्तों में निवेश, पहली/दूसरी हानि की गारंटी, नकद संपार्श्विक, अतिसंपार्श्विककरण	
			बी) *वरिष्ठ* ट्रेंच *में निवेश*	
			सी) चलनिधि *समर्थन*	
			डी) *कोई अन्य (*कृपया विनिर्दिष्ट करें*)*	
		(iv)	उल्लंघन, यदि कोई है, और इसके कारण	
4	अंतर्निहित ऋणों की क्रेडिट गुणवत्ता	(i)	अतिदेय ऋणों का वितरण (प्रतिभूतिकरण के बाद)	
			ए) *30 दिनों तक अतिदेय ऋणों का प्रतिशत*	
			बी) *31-60 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत*	
			सी) *61-90 दिनों के बीच अतिदेय ऋणों का प्रतिशत*	
			डी) *90 दिनों से अधिक समय से अतिदेय ऋणों का प्रतिशत*	
		(ii)	अंतर्निहित ऋणों (वाहन, बंधक, आदि) के संविभाग के लिए उपलब्ध मूर्त जमानत का विवरण	
			ए) *प्रतिभूति 1(नाम दिया जाना है) (%* रक्षित*ऋण)*	
			बी) प्रतिभूति *2...*	

			सी) प्रतिभूति 'एन'	
		(iii)	अंतर्निहित ऋणों के लिए उपलब्ध रक्षित प्रतिभूति की सीमा	
			ए) पूल में शामिल पूरी तरह से रक्षित ऋणों का प्रतिशत *(%)*	
			बी) *पूल में शामिल आंशिक रूप से रक्षित ऋणों का प्रतिशत (%)*	
			सी) पूल में शामिल बेज़मानती ऋणों का प्रतिशत *(%)*	
		(iv)	अंतर्निहित ऋणों का रेटिंग-वार वितरण (यदि इन ऋणों को श्रेणीकृत किया गया है)	
			ए) एआईएफआई / *बाहरी ग्रेड का आंतरिक ग्रेड (उच्चतम गुणवत्ता वाले आंतरिक ग्रेड को 1 के रूप में दर्शाया जा सकता है)*	
			1/एएए अथवा समकक्ष	
			2	
			3	
			4...	
			एन	
			बी) *पूल की भारित औसत रेटिंग*	
		(v)	पूर्व में देखे गए समान संविभाग की चूक दरें	
			ए) *पिछले पांच वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसत चूक दर*	
			बी) *पिछले वर्ष के दौरान प्रति वर्ष औसत चूक दर*	
		(vi)	समान संविभाग के उन्नयन/वसूली/हानि दरें	
			ए) *उन्नत एनपीए का प्रतिशत (पिछले पांच वर्षों का औसत)*	

			बी) *वर्ष की शुरुआत में एनपीए के प्रतिशत के रूप में बट्टे खाते में डाली गई राशि (पिछले पांच वर्षों का औसत)*	
			सी) वर्ष के दौरान वृद्धिशील एनपीए के प्रतिशत के रूप में वर्ष के दौरान वसूल की गई राशि (पिछले पांच वर्षों का औसत)	
		(vii)	आवास ऋण और वाणिज्यिक स्थावर संपदा ऋण के मामले में एलटीवी अनुपात का आवृत्ति वितरण)	
			ए) *60% से कम एलटीवी अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			बी) *60-75% के बीच एलटीवी अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			सी) *75% से अधिक एलटीवी अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			डी) *अंतर्निहित ऋणों का भारित औसत एलटीवी अनुपात (%)*	
		(viii)	कर्ज-*से-आय (डीटीआई) अनुपात का आवृत्ति वितरण, जैसा कि लागू और/*अथवा *उपलब्ध है*	
			ए) *डीटीआई अनुपात 60% से कम वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			बी) *60-75% के बीच डीटीआई अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			सी) *75% से अधिक डीटीआई अनुपात वाले ऋणों का प्रतिशत*	
			डी) *अंतर्निहित ऋणों का भारित औसत डीटीआई अनुपात (%)*	
		(ix)	*पूर्व भुगतान दरें*	
			ए) *वर्तमान* संविभाग *में देखी गई पूर्व भुगतान दर*	
			बी) पूर्व *में इसी तरह के* संविभाग में *देखी गई पूर्व भुगतान दर*	

5	ऋण पूल की अन्य विशेषताएं	(i)	मिश्रित पूल के मामले में ऋणों का उद्योग-वार विवरण (%)	
			उद्योग 1	
			उद्योग 2	
			उद्योग 3...	
			उद्योग एन	
		(ii)	ऋण पूल का भौगोलिक वितरण (राज्यवार) (%)	
			राज्य 1	
			राज्य 2	
			राज्य 3	
			राज्य 4	

* उपरोक्त प्रारूप को आधारभूत प्रकटीकरण के रूप में माना जाना चाहिए। उत्पाद विशेषताओं और बाजार की अपेक्षा के आधार पर, ऊपर उल्लिखित मदों के अतिरिक्त, प्रत्येक समय सुरक्षित पूल की सही वस्तु-स्थित को प्रतिबिंबित करने के लिए पर्याप्त प्रकटीकरण किया जाना चाहिए।